[2017] 13 एससीआर 1009

झारखंड सरकार एवं अन्य

बनाम

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(2006 की सिविल अपील संख्या 1093)

दिसम्बर 14/2017

[दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत, ए.के. सीकरी, ए.एम.खानविलकर डा. डी.वाई. चंद्रचूड और अशोक भूषण न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 31, 30 और 33 – न्यायालयों का क्षेत्राधिकार - मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक निर्णय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य प्रश्न/आवेदन, जब यह मध्यस्थ कार्यवाही पर सीसिन को बरकरार रखता है, जैसा कि न्यायालय का नियम है।

अभिनिर्धारित: सुपीरियर कोर्ट को कानून में इस आधार पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की उम्मीद नहीं है कि यह एक उच्च न्यायालय है और आगे यह कहते हुए कि सभी बनाम वाद खुले हैं - केवल इसलिए कि एक बेहतर अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति करती है या निर्देश जारी करती है या मध्यस्थ पर कुछ नियंत्रण बनाए रखती है उसे इस न्यायालय में अवार्ड दाखिल करने की आवश्यकता होती है, इसे प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह 'न्यायालय' शब्द की परिभाषा के बनाम परीत होगा जैसा कि शब्दकोश खंड के साथ-साथ धारा 31(4) में भी प्रयोग किया गया है - यह न्यायालय यह कहते हुए अपील करने के वादी के अधिकार को कम नहीं कर सकता है कि इस न्यायालय के लिए दरवाजे खुले हैं और इस पर बनाम चार करने के लिए जैसे कि यह एक मूल

न्यायालय है - जब मध्यस्थ को अधिनियम और मामले को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है और अंततः, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है और कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं, यह कहना उचित नहीं होगा कि उच्चतर न्यायालय के पास धारा 30 और 33 के तहत दायर आपत्तियों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है -के
आसपास एक क़ानून के तहत प्रदत्त न्यायालय को एक अलग तरीके से मामले में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण स्थानांतरित करने या लचीला बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। उपधारा (1) में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में अधिनिर्णय दायर किया जा सकेगा जिससे संदर्भ संबंधित है। उप-धारा (2) निर्धारित करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बनाम धि में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के रूप में बचाए जाने के बावजूद, किसी अधिनिर्णय की वैधता, प्रभाव या अस्तित्व या करार के पक्षकारों या उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता करार का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें करार के अधीन अधिनिर्णय दिया गया है, या दायर किया जा सकता है, और किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं। [471] [1044-घ-च]

1.2 धारा 31(4) की व्याख्या करते हुए, * कुंभ मावजी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि उक्त उप-धारा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उप-धारा (3) से आगे जाना है, अर्थात, केवल संबंधित पक्ष पर सभी आवेदन दायर करने का दायित्व नहीं डालना है ऐसे आवेदनों के लिए अनन्य अधिकारिता को उस न्यायालय में निहित करने के लिए जिसमें पहला आवेदन पहले ही किया जा चुका है, एक न्यायालय में प्रवेश करने के लिए निर्णय लिया गया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रखी गई व्याख्या इस आशय की है कि धारा 31 के व्यापक दृष्टिकोण पर कि जबकि पहली उप-धारा उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें एक अवार्ड दायर किया जा सकता है, उप-धारा (2), (3) और (4) का उद्देश्य उस क्षेत्राधिकार को तीन अलग-अलग तरीकों से प्रभावी बनाना है, (I) वैधता के संबंध में सभी प्रश्नों से निपटने के लिए एक अदालत में अधिकार निहित करके, किसी अवार्ड या मध्यस्थता समझौते का प्रभाव या अस्तित्व, (2) संबंधित व्यक्तियों पर मध्यस्थता कार्यवाही

के संचालन के संबंध में सभी आवेदन दायर करने का दायित्व या अन्यथा एक अदालत में ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली, तथा (3) उस अदालत में अनन्य क्षेत्राधिकार निहित करके जिसमें मामले से संबंधित पहला आवेदन दायर किया गया है. न्यायालय का आगे बनाम श्लेषण यह है कि उपधारा का संदर्भ (4) यह इंगित करता प्रतीत होता है कि उप-धारा का मतलब मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों तक ही सीमित नहीं था। प्रभावी और अनन्य क्षेत्राधिकार के साथ एक एकल अदालत को शक्ति देने की आवश्यकता, और तीन प्रावधानों के संयुक्त संचालन द्वारा संघर्ष और उहापोह से बचने के लिए समान रूप से आवश्यक है कि क्या सवाल मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान या मध्यस्थता पूरी होने के बाद या मध्यस्थता शुरू होने से पहले उठता है। कोई बोधगम्य कारण नहीं है कि बनाम धायिका ने उप-धारा के संचालन को सीमित करने का इरादा किया है (4) केवल मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों के लिए क्योंकि वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" "संदर्भ के दौरान" अर्थ के रूप में लिया जाना है। [कंडिका 48] [1044-ज; 1045-क-ड]

1.3 न्यायालय ने वाक्यांश की व्याख्या की है 'किसी भी संदर्भ में' अर्थ के लिए 'मामले में या संदर्भ के पाठ्यक्रम में' जिसका अर्थ मध्यस्थता के संदर्भ के मामले में होगा और अंतिम अवार्ड दिए जाने पर चरण भी शामिल होगा. गुरु नानक फाउंडेशन में यह बात प्रतिष्ठित की गई है कि अधिनियम की धारा 31(4) का उल्लेख करते हुए न्यायालय शब्द का अर्थ है और यह मानते हुए कि उच्चतम न्यायालय भी प्रथम दृष्टया न्यायालय बन सकता है यदि उसने कार्यवाहियों पर नियंत्रण बनाए रखा हो। शब्दकोश खंड में न्यायालय शब्द की परिभाषा और अधिनियम की धारा 31(4) में यथा नियोजित न्यायालय शब्द के अर्थ का अवलोकन करने और उपबंधों के संदर्भ में उसका मूल्यांकन करने तथा अधिनियम की स्कीम को भी ध्यान में रखते हुए, * *गुरु नानक प्रतिष्ठान के मामले में किया गया निर्माण एक मौलिक भ्रांति से ग्रस्त है। अधिनियम की धारा 31 (4) में प्रयुक्त भाषा गैर-बाधा खंड से शुरू होती है। प्रावधान के उक्त भाग को पाठ्य संदर्भ में समझा जाना चाहिए क्योंकि मुख्य रूप से प्रावधान एक समर्थकारी है और वास्तबनाम क आशय है जो अभिव्यंजक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भाषा यह है कि जहां अधिनियम के तहत किसी संदर्भ में कोई आवेदन किया गया है, जहां न्यायालय के संबंध में जो किसी आवेदन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, केवल उस न्यायालय का मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा। उक्त प्रावधान के पीछे का उद्देश्य क्षेत्राधिकार के प्रयोग में टकराव से बचना और अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकार न्यायालय की निश्चितता के इरादे को

प्रतिष्टित करना है जो मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुबनाम धाजनक बनाने और निर्णय के बाद की कार्यवाही की अंतिमता को देखने के लिए है। इसलिए, यह स्वीकार करना कठिन है कि उच्चतम न्यायालय केवल कार्यवाहियों पर नियंत्रण के कारण मूल अधिकारिता ग्रहण कर सकता है, क्योंकि संबनाम धान के अनुच्छेद 32 और 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 262 में उल्लिखित बनाम वाद के संबंध में उक्त मूल क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं है। [कंडिका 491 (1045-च-ज; 1046-क]

1.4. जो प्रश्न प्रस्तुत करना आवश्यक है वह यह है कि क्या यह न्यायालय अभिव्यक्ति का उपयोग करके "मध्यस्थ कार्यवाही पर नियंत्रण रखें" मूल अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकता है. न्यायालय ने धारा 31(4) में प्रयुक्त 'न्यायालय' शब्द की व्याख्या करके अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है। व्याख्या प्रावधान में प्रयुक्त भाषा और बनाम धायिका की मंशा के अनुरूप नहीं है। यह स्पष्ट है कि संदर्भ पर बनाम चार करने के लिए सक्षम न्यायालय के पास अवार्ड या किसी भी अवार्ड के बाद की कार्यवाही पर आपत्तियों से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा। [कंडिका 51] [1047-ग-ड]

1.5 यह कथन कि उसके लिए सभी विवादों को उठाने के लिए दरवाजा व्यापक रूप से आधा खुला रखा जा रहा है, जो एक मूल समन में कार्यवाही में उठा सकता है, सही नहीं है क्योंकि कानून में उच्चतर न्यायालय से इस आधार पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि यह एक उच्च न्यायालय है और आगे यह राय है कि सभी विवाद खुले हैं। विधायिका ने अपने विवेक से, अधिनियम की धारा 39 के तहत एक अपील प्रदान की है। केवल इसलिए कि एक उच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति करता है या निर्देश जारी करता है या मध्यस्थ पर कुछ नियंत्रण बनाए रखता है ताकि उसे इस न्यायालय में अवार्ड दाखिल करने की आवश्यकता हो, इसे प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह 'न्यायालय' शब्द की परिभाषा के विपरीत होगा। शब्दकोश खंड के साथ-साथ धारा 31 (4) में भी उपयोग किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें, तो सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह न्यायालय यह कहते हुए अपील करने के लिए एक वादी के अधिकार को कम नहीं कर सकता है कि इस न्यायालय के लिए दरवाजे खुले हैं और इस पर विचार करने के लिए जैसे कि यह एक मूल अदालत है। इस न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार कानून में निहित होना चाहिए। जब तक यह इतना निहित न हो और न्यायालय यह न मान ले, न्यायालय वास्तव में उस मंच को विफल कर देता है जो विधायिका द्वारा वादी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा, उक्त सिद्धांत भी कुंभ मावजी में कही गई बातों के विपरीत है। यह

न्यायालय सहमति पर एक मध्यस्थ का संदर्भ दे सकता है, लेकिन इसे एक कानूनी सिद्धांत के रूप में धारण करने के लिए कि यह आपत्तियों पर भी विचार कर सकता है क्योंकि मूल अदालत क्षेत्राधिकार से संबंधित एक मौलिक भ्रम को आमंत्रित करेगी। [कंडिका 57] [1050-च-छ;-क -ग]

1.6 जिस न्यायालय के पास पहले आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, वह इस तथ्य से निर्धारक है कि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है और अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखता है। जब अधिनियम के तहत मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है या, उस मामले के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और, अंततः, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है और कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं, तो यह कहन अनुचित होगा कि उच्चतर न्यायालय के पास धारा 30 और 33 के तहत दायर आपत्तियों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय की अधिकारिता एक क़ानून के तहत प्रदत्त को स्थानांतरित करने या बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है एक अलग तरीके से मामले में एक उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण लचीलापन। [कंडिका 581] [11051-ड-छ] [1051-ड-छ]

1.7 मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निदेश जारी किया गया होता। लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता राज्य ने सिविल कोर्ट के समक्ष आपत्ति दायर की है। अगर राज्य की आपत्ति रिकॉर्ड में नहीं है, राज्य के साथ-साथ प्रतिवादी को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी संबंधित आपत्तियां दर्ज करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आपत्तियों का निर्णय उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। [कंडिका 60] (1052-ख]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम सैथ और स्केल्टन (पी.) लिमिटेड (1972) 1 एससीसी 702: [19721 3 एससीआर 233; नानक फाउंडेशन बनाम रतन सिंह एंड संस [1982] 1 एससीआर 842 - खारिज कर दिया।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन (2008) 6 एससीसी 732: [2008] 3 एससीआर 1124; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (2015) 1 एससीसी 32: [12014] 10 एससीआर 426; राजस्थान राज्य बनाम नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (2) (2010) 2 एससीसी 182: [20101 1 एससीआर 312; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य (2005) 10 एससीसी 353; कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और अन्य (1977) 4 एससीसी 608: 119781 2 एससीआर 1; ए.आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्य (1988) 2 एससीसी 602: [1988] 1 अनुपूरक.

एससीआर 1; गरिकापति बनामरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी एवं अन्य 1957 एससीआर 488: एआईआर 1957 एससी 540; गिफ्ट टैक्स कमिश्नर, मद्रास बनाम एन.एस. चेट्टियार (1971) 2 एससीसी 741; गुजरात बनाम यूनियन मेडिकल एजेंसी (1981) 1 एससीसी 51: [1981] 1 एससीआर 870; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य (1998) 8 एससीसी 1: [1998] 2 अनुपूरक. एससीआर 359; - कुंभा मावजी बनाम भारत डोमिनियन (अब भारत संघ) [1953] एससीआर 878: एआईआर 1953 एससी 313; पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और अन्य बनाम लुधियाना स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (1993) 1 एससीसी 205: [1992] 3 अनुपूरक. एससीआर 275; सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार और अन्य बनाम सीटी. ए. सीटी. सुब्रमण्यम चेट्टियार [1960] 2 एससीआर 209: एआईआर 1960 एससी 307; कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2017) 3 एससीसी 362: [2016] 8 एससीआर 499; उड़ीसा राज्य भारत सरकार और अन्य (2009) 5 एससीसी 492: [2009] 1 एससीआर 992; नदियों की नेटवर्किंग, पुनः (2012) 4 एससीसी 51: [2012] 1 एससीआर 1118; प्रेम चंद गर्ग और अन्य बनाम आबकारी आयुक्त; उत्तर प्रदेश और अन्य [1963] आपूर्ति 1 एससीआर 885: एआईआर 1963 एससी 996; शिव शक्ति सहकारी हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवलपर्स और अन्य (2003) 6 एससीसी 659: [2003] 3 एससीआर 762; विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 9 एससीसी 541: []8 एससीआर 872; नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (2009) 8 एससीसी 646: [2009] 12 एससीआर 54 - संदर्भित.

केस लॉ संदर्भ

[2008] 3 एससीआर 1124	संदर्भित	कंडिका 6
[2014] 10 एससीआर 426	संदर्भित	कंडिका 6
[20101 1 एससीआर 312	संदर्भित	कंडिका 6
[2005] 10 एससीसी 353	संदर्भित	कंडिका 7
[1978] 2 एससीआर 1	संदर्भित	कंडिका 10
[1988] 1 अनुपूरक एससीआर 1	संदर्भित	कंडिका 10
[1957] एससीआर 488	संदर्भित	कंडिका 10

[1971] 2 एससीसी 741 संदर्भित कंडिका 11

[1981] 1 एससीआर 870 संदर्भित कंडिका 11

[1998] 2 अनुपूरक एससीआर 359 संदर्भित कंडिका 11

[1953] एससीआर 878 संदर्भित कंडिका 12

[1992] 3 अनुपूरक एससीआर 275 संदर्भित कंडिका 12

[19601 2 एससीआर 209 संदर्भित कंडिका 16

[2016] 8 एससीआर 499 संदर्भित कंडिका 49

[2009] एससीआर 992 संदर्भित कंडिका 49

[2012] एससीआर 1118 संदर्भित कंडिका 49

[1963] अनुपूरक 1 SCR 885 संदर्भित कंडिका 54

[2003] 3 एससीआर 762 संदर्भित कंडिका 56

[2016] 8 एससीआर 872 संदर्भित कंडिका 56

[2009] एससीआर 54 कंडिका 56 को संदर्भित

[1972] 3 एससीआर 233 ख़ारिज कंडिका 59

[1982] 1 एससीआर 842 ख़ारिज कंडिका 59

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 1093

झारखण्ड उच्च न्यायालय के दिनांक 06.08.2002 के आदेश से 2002 की मध्यस्थता अपील संख्या 6 में, रांची में।

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ एडवोकेट, गोपाल प्रसाद, देवाशीष भरूका, अमेयविक्रमा थानवी, रवि भारुका, जयेश गौरव, अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट।

के.वी.विश्वनाथन, सीनियर एडवोकेट, जयंत के. मेहता, प्रतीक कुमार, अनुषक शारदा और सुश्री स्नेहा जानकीरमन (खेतान एंड कंपनी के लिए), उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत 1.वर्तमान अपील की सुनवाई करते हुए दो न्यायाधीश पीठ ने पाया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक निर्णय बनाने के लिए इस न्यायालय द्वारा एक आवेदन की सुनवाई के योग्य के संबंध में मतभेद है, जब यह मध्यस्थ कार्यवाही पर *सीसिन* को बरकरार रखता है, न्यायालय के नियम के रूप में और इसलिए, निम्नलिखित प्रश्न पर निर्णय के लिए मामले को बड़ी बेंच को संदर्भित किया: -

"क्या यह न्यायालय सुनवाई के योग्य के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है कि न्यायालय के नियम के रूप में अवार्ड, भले ही यह मध्यस्थ कार्यवाही पर *सीसिन* को बरकरार रखता है?"

2. संदर्भ का उत्तर देने के लिए तथ्यों का विस्तार से वर्णन आवश्यक नहीं है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि चूंकि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे, इसलिए मामले को विवादों के अधिनिर्णय के लिए एक मध्यस्थ को भेजा गया था और उक्त अवधि के दौरान, प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें राज्य को बैंक गारंटी को भुनाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। चूंकि अवार्ड देने का समय और विस्तार की अवधि समाप्त हो गई थी, मध्यस्थता के लिए कार्यवाही छोड़ दी गई थी. राज्य ने ब्याज सहित कुछ राशि की वसूली के लिए विद्वान उप न्यायाधीश, सरायकेला के समक्ष विवाद दायर किया। वाद में उपस्थित होने के बाद प्रतिवादी ने विवाद पर रोक लगाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त प्रार्थना का विरोध किया गया और विद्वान उप न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी। तथापि, दावे की मात्रा के संबंध में, उप न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि यह वांछनीय था कि पार्टियों को मध्यस्थता कार्यवाही में अपने विवादों का निपटारा करना चाहिए. उक्त आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई जिसने दिनांक 06.08.2002 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

3. इससे व्यथित होकर झारखंड राज्य ने अपील को प्राथमिकता दी जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2013 के आदेश द्वारा निपटा दिया गया। यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि पक्षकारों की ओर से उपस्थित वकील निम्नलिखित आदेश के लिए सहमत हुए: -

"(i). प्रतिवादी द्वारा 7 जनवरी, 1994 को पार्टियों के बीच 25 अप्रैल, 1989 के अनुबंध के अनुसार किया गया दावा, जो पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेजा गया था जो 15 फरवरी,

1995 को हुई कार्यवाही और जो अनिर्णायक रही थी, को इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा को निर्णय के लिए भेजा जाता है।

(ii).1996 के मनी सूट नंबर 4 - झारखंड राज्य और अन्य बनाम डब्ल्यू.एस. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में अपीलकर्ता द्वारा 10 अप्रैल, 1996 को उप-न्यायाधीश, सरायकेला, झारखंड की अदालत में दायर प्रतिवादी के खिलाफ किए गए दावे को भी इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा के निर्णय के लिए भेजा जाता है।

(iii). निबंधन और शर्तें पक्षकारों के परामर्श से विद्वान मध्यस्थ द्वारा तय की जाएंगी।

(iv). पक्षकार फरवरी 5, 2013 को विद्वान मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होंगे। हम विद्वान मध्यस्थ से अनुरोध करते हैं कि वह उपरोक्त मध्यस्थता कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करें और आगे कहते हैं कि अवार्ड इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।"

[रेखांकित]

4. निपटान को पुन: प्रस्तुत करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार दर्ज किया: -

"हम पार्टियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के बयान को रिकॉर्ड करते हैं और स्वीकार करते हैं कि मध्यस्थ को निर्णय लेने का अनुरोध किया जा सकता है। गुण-दोष के आधार पर दावा। हम उसी के अनुसार निरीक्षण करते हैं।"

5. विद्वान मध्यस्थ ने मध्यस्थता कार्यवाही का समापन किया और 16.10.2015 को अवार्ड पारित किया और इस न्यायालय के समक्ष दायर किया। अपीलकर्ताओं ने सिविल कोर्ट के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करके उक्त अवार्ड को चुनौती दी। प्रतिवादी ने 16.06.2016 को एक हलफनामा दायर किया जिसमें इस न्यायालय से अवार्ड के संदर्भ में निर्णय सुनाने का अनुरोध किया गया।

6. दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि जब इस न्यायालय ने इस न्यायालय में अवार्ड दाखिल करने का निर्देश दिया था, तो न्यायालय के अवार्ड नियम बनाने के लिए एक आवेदन इस न्यायालय में दायर किया जाना है, क्योंकि अकेले इस न्यायालय के पास निर्णय सुनाने का अधिकार क्षेत्र है अवार्ड के संदर्भ में। इस संबंध में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन[1] में लिए गए फैसले में पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम संबद्ध ठेकेदार[2] पर भरोसा रखा गया था। उक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए,

अपीलकर्ता-राज्य द्वारा यह आग्रह किया गया था कि यदि न्यायालय अवार्ड पर आपत्तियों का फैसला करता है, तो पार्टी अपील का अधिकार खो देगी। यह भी तर्क दिया गया था कि मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके इस न्यायालय ने वास्तव में मध्यस्थ की कार्यवाही पर नियंत्रण नहीं रखा था। उक्त प्रस्तुतियों को मजबूत करने के लिए, राजस्थान राज्य बनाम नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (2)[3] के मामले में भरी रूप से भरोसा किया गया था।

7. कोर्ट ने नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) में निर्णय को नोट किया, जिसने मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य[4] में निर्णय का पालन किया था और आगे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांतों से अवगत हुए, जिसमें यह माना गया है कि अपील का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक ठोस कारण मौजूद न हों, तब तक वादी को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। डिवीज़न बेंच ने एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि इस न्यायालय को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षिप्तता के लिए, '1996 अधिनियम') की धारा 2 (i) (ड) के अर्थ के भीतर एक न्यायालय नहीं माना जा सकता है। रेफरल निर्णय में मध्य प्रदेश राज्य बनाम सैथ और स्केल्टन (पी.) लिमिटेड5 और गुरु नानक फाउंडेशन बनाम रतन सिंह एंड संस[6] के मामले में लिए गए दृष्टिकोण को नोट किया गया था। जिसमें यह माना गया है कि जब इस न्यायालय द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है और आगे निर्देश जारी किए जाते हैं, यह मध्यस्थता कार्यवाही पर कब्जा बरकरार रखता है और ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 2 (ग) के प्रयोजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र अदालत है।

8. दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय के समक्ष आवेदन की सुनवाई के योग्य के संबंध में मतभेद को महसूस किया और मामले को उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायमूत के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इस प्रकार यह मामला हमारे समक्ष रखा गया है।

9. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन को सुना है।

10. अपीलकर्ता-राज्य के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में व्यक्त विचार कानून को सही ढंग से नहीं बताता है और अपीलकर्ताओं के अपील के अधिकार को केवल इस आधार पर रद्द करना

अनुचित होगा कि इस न्यायालय ने, पार्टियों की सहमति पर, स्वीकार किया था कि अवार्ड इस न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा और, इसलिए, अकेले इस न्यायालय के पास न्यायालय के अवार्ड नियम बनाने के लिए आपत्तियों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है। श्री सिन्हा के अनुसार, अधिनियम की धारा 2 (ग) के तहत न्यायालय की परिभाषा को उचित रूप से समझा जाना चाहिए और "न्यायालय" शब्द के अर्थ के उचित निर्माण पर, इसे सर्वोच्च न्यायालय को शामिल करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह श्री सिन्हा द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की स्कीम के अंतर्गत, अपीलकर्ता उप-न्यायाधीश के समक्ष आपत्तियां दर्ज करने के लिए कानून के तहत हकदार हैं, जिनके आदेश को अधिनियम की धारा 39 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में स्वीकार किया जा सकता है, और, यदि यह न्यायालय पक्षकारों द्वारा दायर आपत्तियों/आपत्तियों से निपटने के लिए मूल न्यायालय बन जाता है, तब विधायिका के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपील का अधिकार शून्य हो जाएगा। इस संदर्भ में, कर्नाटक राज्य बनाम कर्नाटक राज्य पर भरोसा किया गया है। भारत संघ और अन्य[7], ए.आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्य[8] और गरिकापति विराया बनाम. एन. सुब्बैया चौधरी और अन्य[9]। श्री सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने आग्रह किया है कि एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (ऊपर) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, जिसमें न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सैथ और स्केल्टन (ऊपर) के मामले में और गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) संदेह के लिए खुले हैं और पूरी तरह से निर्णयों से निपटने पर, यह स्पष्ट होगा कि इसने सिद्धांत निर्धारित किया है कि 'कोर्ट' शब्द में सर्वोच्च न्यायालय शामिल नहीं हो सकता है।

11. श्री विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी के लिए उपस्थित अधिवक्ता, अपनी बारी में, तर्क देता हैं कि अधिनियम की धारा 2 (ग) न्यायालय को परिभाषित करती है और परिभाषा जब एक उचित तरीके से पढ़ी जाती है तो यह दर्शाती है कि "न्यायालय" शब्द को निम्नलिखित के आधार पर एक अलग अर्थ सौंपा जा सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने हमें उपहार कर आयुक्त, मद्रास बनाम एन.एस.गेट्टी चेत्तिअर[10], बिक्री कर आयुक्त, गुजरात राज्य बनाम संघ चिकित्सा एजेंसी[11], सैथ एंड स्केल्टन (ऊपर) और व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य[12] । प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि अधिनियम की धारा 14 (2) इंगित करती है कि एक ऐसा मामला हो सकता है जहां न्यायालय स्वयं अदालत में दायर किए जाने वाले अवार्ड को निर्देशित कर सकता है और एक बार जब उच्च न्यायालय ने नियंत्रण बनाए रखा है और धारा 14 (2) के संदर्भ में एक अवार्ड दायर करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश पारित किया

है, फिर अन्य सभी अदालतों के पास विवाद के निर्धारण के लिए अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। पदानुक्रमित संरचना पर जोर देते हुए, उनका तर्क है कि न्यायिक अनुशासन और सम्मान प्रबल होना चाहिए और इसलिए, ऊपरी अदालत के अलावा किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। यह उनका निवेदन है कि जब यह न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखता है, तो अधिनियम से बहने वाली किसी भी कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में, उन्होंने सैथ एंड स्केल्टन (ऊपर) और गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) के कुछ अंशों से प्रेरणा ली है। उनके अनुसार, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि वे अपील का अधिकार खो देंगे। गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और उक्त सिद्धांत को खारिज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. अधिनियम की धारा 31 (4) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री विश्वनाथन यह तर्क देंगे कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य केवल उन स्थितियों से निपटना है जहां पहले के अनुपालन के बाद भी धारा 31 की तीन उपधाराएं, दो या दो से अधिक न्यायालय हो सकते हैं जिनमें उन उपधाराओं के तहत कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन इसका उन मामलों में कोई आवेदन नहीं है जहां एक वरिष्ठ/उच्च न्यायालय ने नियंत्रण बनाए रखा है और उस अदालत में निर्णय दायर करने का निर्देश पारित किया है। धारा 31 (4) में दिए गए विकल्प की अवधारणा को समान स्थिति के न्यायालयों के रूप में समझा जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उच्चतर न्यायालयों के नियंत्रण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उक्त प्रस्ताव को बनाए रखने के लिए, उन्होंने कुंभा मावजी बनाम भारत डोमिनियन (अब भारतीय संघ)[13] पर भरोसा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक बार जब ऊपरी अदालत नियंत्रण बरकरार रखती है जो अधिनियम के तहत अनुमेय है, तो अपील करने का कोई और अधिकार नहीं है और इसलिए, यह प्रस्तुत करना कि अपील का अधिकार समाप्त हो गया है, योग्यता के बिना है। उपरोक्त प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए, उन्हें पंजाब राज्य बनाम विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम लुधियाना स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय से अपार समर्थन मिला है।[14] एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (ऊपर) पर टिप्पणी करते हुए, श्री विश्वनाथन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्राधिकरण सैथ एंड स्केल्टन (ऊपर) और गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में मुख्य कारण की अनदेखी करता है और उक्त प्राधिकरण में मुख्य कारण 1996 के अधिनियम की धारा सी 2 (ठ)(ड) के तहत "कोर्ट" की परिभाषा से संबंधित है और यह उसमें दिए गए निर्णय को अलग-अलग बनाता है। उनके द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (ऊपर) में जिन निर्णयों का

उल्लेख किया गया है, वे तथ्यात्मक रूप से भिन्न हैं और जब तथ्यात्मक पृष्ठभूमि भिन्न होती है, तो न्यायालय को मामले के संदर्भ में अनुपात को देखना होगा। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन अधिकारियों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले से संबंधित नहीं हैं। विवाद इसलिए है क्योंकि उक्त मामलों में अदालत ने अपने पास कार्यवाही का नियंत्रण नहीं रखा था।

13. विवाद की सराहना करने के लिए, अधिनियम की योजना की सराहना करना महत्वपूर्ण है। धारा 2 शब्दकोश खंड है। यह शब्दों के साथ शुरू होता है "जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो"। हमारे सामने विवाद यह है कि ऐसे शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से साबित करता है कि संदर्भ के आधार पर "न्यायालय" शब्द को एक अलग अर्थ सौंपा जा सकता है। [यूनियन मेडिकल एजेंसी (ऊपर), एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वैधानिक व्याख्या की अवधारणा से निपटने के दौरान जब विषय वस्तु या संदर्भ अलग है, अभिनिर्धारित किया है: -

"14. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी शब्द या वाक्यांश को व्याख्या खंड में परिभाषित किया गया है, तो प्रथम दृष्टया वह परिभाषा तब शासित होती है जब भी उस शब्द या वाक्यांश का उपयोग क़ानून के शरीर में किया जाता है। लेकिन जहां संदर्भ परिभाषा खंड को अनुपयुक्त बनाता है, एक परिभाषित शब्द जब क़ानून के शरीर में उपयोग किया जाता है तो व्याख्या खंड में निहित से अलग अर्थ दिया जा सकता है; अतः व्याख्या खंड में दी गई सभी परिभाषाएं सामान्य रूप से सामान्य अर्हता के अध्यधीन अधिनियमित की जाती हैं - जब तक कि विषय में कुछ प्रतिकूल न हो या संदर्भ", या "जब तक कि संदर्भ को अन्यथा भी आवश्यकता न हो इस आशय की एक एक्सप्रेस योग्यता की अनुपस्थिति हमेशा निहित होती है।

14. सैथ और स्केल्टन (ऊपर) के मामले में, न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (ग) और धारा 14 (2) से निपट रहा था और उस संदर्भ में; में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 2 की शुरुआत, -

"18. . . इसलिए अभिव्यक्ति "न्यायालय" को अधिनियम की धारा 2 (ग) में परिभाषित के रूप में समझा जाना चाहिए, केवल तभी जब विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। यह उस प्रकाश में है कि अधिनियम की धारा 14 (2) में होने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय" को समझना और व्याख्या करना होगा।

15. पूर्वोक्त मामले में, न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति पर मध्यस्थ नियुक्त किया था और उसे "अपना निर्णय देने" का निर्देश दिया था। इसके अलावा, उक्त मामले में आगे कोई निर्देश नहीं दिया गया था। पंचाट ने अधिनिर्णय पारित करने के बाद इसे इस न्यायालय के समक्ष दायर किया था और उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा: -

"18. निश्चित रूप से कानून अवार्ड दिए जाने के बाद उठाए जाने वाले आगे के कदमों पर विचार करता है, और स्वाभाविक रूप से आगे की कार्रवाई करने का मंच केवल यह न्यायालय है। इस आशय का निर्देश भी था कि पक्षकार अवार्ड देने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश द्वारा इस तरह के अधिकार क्षेत्र के साथ किसी अन्य न्यायालय के निवेश की अनुपस्थिति में, एकमात्र निष्कर्ष जो संभव है वह यह है कि इस तरह का अनुरोध केवल उस न्यायालय को किया जाना चाहिए जिसने वह आदेश पारित किया है, अर्थात् यह न्यायालय। और फिर:-

"19. इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, यह उसके आदेशों द्वारा स्पष्ट किया गया है, दिनांक फरवरी 1, 1971 और अप्रैल 30, 1971 । पूर्व तारीख पर, दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता कार्यवाही का रिकॉर्ड एकमात्र मध्यस्थ श्री वी.एस. देसाई को दिया जाए। बाद की तारीख में, फिर से, वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने अवार्ड बनाने के लिए समय चार महीने बढ़ा दिया और मध्यस्थ को बॉम्बे में मध्यस्थता कार्यवाही अभिनिर्धारित करने की अनुमति दी, 29 जनवरी, 1971 को पारित आदेश की प्रकृति, और बाद की कार्यवाही, ऊपर, स्पष्ट रूप से दिखाएं कि इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। "

16. इसके बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीटी.ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार और अन्य बनाम सीटी.ए. सीटी सुब्रमण्यम चेट्टियार में निर्णय का उल्लेख किया15 और उसी पर भरोसा करते हुए, यह विचार व्यक्त किया कि यह न्यायालय अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत "न्यायालय" है जहां मध्यस्थता अवार्ड वैध रूप से दायर किया जा सकता है।

17. गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) मामले में, चूंकि पार्टियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए थे, इसलिए अधिनियम की धारा 20 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था, जिसका संदर्भ दिया गया था। जब संदर्भ चूंकि यह मामला लंबित था, इसलिए मध्यस्थ को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उच्च न्यायालय ने आवेदन को अस्वीकार करना उचित समझा। गुरु नानक

फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सुस्पष्टता पर हमला किया और इस न्यायालय ने मध्यस्थ को हटा दिया और एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया और मध्यस्थ को 15 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू करने और यथासंभव शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया। नव नियुक्त मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही शुरू करने के बाद, इसने पार्टियों को यह कहते हुए अपनी दलीलें दायर करने का निर्देश दिया कि वह मध्यस्थता की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करना चाहता था, जिसका अर्थ था कि पूर्व मध्यस्थ के समक्ष दायर की गई दलीलें और उसके सामने पेश किए गए सबूतों को नजरअंदाज किया जाना था। इसने पहले प्रतिवादी को इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित किया कि विद्वान मध्यस्थ को मध्यस्थता की कार्यवाही उस चरण से शुरू करनी चाहिए जहां इसे पिछले मध्यस्थ द्वारा छोड़ा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार निर्देश दिया: -

"1977 का सीएमपी नंबर 1088: हमने दोनों पक्षों के वकील सुने हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की भावना के अनुरूप नए मध्यस्थ को मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने के लिए गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्देशों में यह कहा गया था कि कार्यवाही 15 दिनों के भीतर शुरू होनी चाहिए और मध्यस्थ 'जितनी जल्दी हो सके उसी का निपटान करने का प्रयास करेगा'। हम मध्यस्थ को निर्देश देते हैं, दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति को ध्यान में रखते हुए, कि वह आज से चार महीने के भीतर कार्यवाही समाप्त कर देगा।

एक शिकायत की जाती है कि मध्यस्थ नए सिरे से दलीलें मांग रहा है जो शायद ओटिसे हो सकती है क्योंकि दलीलों में पहले से ही दोनों पक्षों द्वारा पहले मध्यस्थ श्री नंदा के समक्ष दायर किया गया है। यदि कोई पूरक बयान दायर किया जाना है, तो यह निश्चित रूप से पार्टियों के लिए खुला है कि वे मध्यस्थ को आज से एक सप्ताह में उन्हें प्राप्त करने के लिए राजी करें। मध्यस्थ को याद होगा कि पहले से ही कुछ सबूत एकत्र किए गए हैं और उसे केवल विचार करना और निष्कर्ष निकालना है। इस निर्देश के साथ हम आवेदन का निपटारा करते हैं।"

18. अधिनिर्णय पारित होने के बाद, मध्यस्थ ने अधिनिर्णय दाखिल करने के लिए इस न्यायालय की रजिस्ट्री से संपर्क किया और उसे इस न्यायालय के एक अधिकारी ने सलाह दी कि अधिनिर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए। मध्यस्थ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अवार्ड दायर किया। उस समय, प्रतिवादी ने याचिका दायर कर यह घोषणा करने की मांग की थी कि अधिनियम की धारा 31 (4) के साथ पठित धारा 14 (2)

में निहित प्रावधानों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवार्ड दायर करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थ को संदर्भ दिया गया था और आगे निर्देश दिए गए थे, इसलिए यह न्यायालय मामले को जब्त कर रहा था और अधिनियम की धारा 31 (4) के प्रावधानों के मद्देनजर अवार्ड पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। इस मामले को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

19, दो न्यायाधीशों की पीठ ने तथ्यों का वर्णन करने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किया: -

"इसलिए इस मामले में संकीर्ण प्रश्न यह है: यहां चित्रित परिस्थितियों को देखते हुए, जो अदालत है जिसके पास अवार्ड पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा; दूसरे शब्दों में, कौन सा न्यायालय है अधिकार क्षेत्र जिसमें मध्यस्थ द्वारा अवार्ड दायर किया जाना चाहिए?"

20 . "न्यायालय" अभिव्यक्ति के अर्थ का विश्लेषण करना धारा 2 (ग) के तहत और धारा 2 की शुरुआत में होने वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

"13. धारा 2 (ग) में अभिव्यक्ति "न्यायालय" का शब्दकोश अर्थ अधिनियम में जहां भी वह शब्द आता है, वहां लागू किया जाना है, लेकिन यह सीमा कि यदि विषय में कुछ भी प्रतिकूल है या संदर्भ, शब्दकोश का अर्थ "न्यायालय" अभिव्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह मानते हुए कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, अधिनियम में अभिव्यक्ति "न्यायालय" का अर्थ होगा कि सिविल न्यायालय जिसके पास संदर्भ की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र होगा ।"

21. यह एक वाद की विषय-वस्तु थी, लेकिन इसमें लघु कारण न्यायालय शामिल नहीं है, यद्यपि यह धारा 21, धारा 14, उपधारा (2) के अधीन मध्यस्थता कार्यवाहियों को छोड़कर एक सिविल न्यायालय है, न्यायालय में अधिनिर्णय दाखिल करने का उपबंध करता है और अभिव्यक्ति न्यायालय की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ को उस न्यायालय में अधिनिर्णय दाखिल करना होगा जिसके पास वाद की विषय-वस्तु बनाने वाले वाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा। जैसा कि निर्णय में चर्चा से पता चलता है, न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों के बीच कुछ विवाद था कि क्या अभिव्यक्ति "न्यायालय" अपीलीय अदालत को समझेगी जिसमें अवार्ड दायर किया जा सकता है लेकिन इसे अंततः सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार (ऊपर) जिसने माना कि अधिनियम की धारा 21 में अभिव्यक्ति "सूट" और "न्यायालय" क्रमशः "अपील" और "अपीलीय न्यायालय" में कार्यवाही को भी

समझेंगे क्योंकि धारा 21 में अभिव्यक्ति "न्यायालय" में अपीलीय अदालत की कार्यवाही शामिल है जिसे आम तौर पर सूट की निरंतरता के रूप में मान्यता दी जाती है, और "सूट" शब्द में ऐसी अपीलीय कार्यवाही शामिल होगी।

22. ऐसा कहने के बाद, गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) ने अधिनियम की धारा 31 (4) का विज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ाया और उस संदर्भ में, यह माना कि गैर-बाधा खंड अधिनियम या किसी अन्य कानून में कहीं भी निहित कुछ भी शामिल नहीं करता है, यदि यह उप-धारा (4) में निहित मूल प्रावधान के विपरीत या असंगत है। इसने आगे फैसला सुनाया कि उस सीमा तक यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के सामान्य प्रश्न के लिए एक अपवाद बनाता है जिसमें उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कार्यवाही के संबंध में अधिनियम में प्रदान किए गए अधिनिर्णय को कहीं और दायर किया जा सकता है। उप-धारा (4) में निहित प्रावधान का अवार्ड दाखिल करने के संबंध में एक अधिक प्रभाव होगा यदि उसमें निर्धारित शर्तें संतुष्ट हैं. यदि वे शर्तें पूरी होती हैं, तो धारा 14 (2) या धारा 31 (1) में परिकल्पित अदालत के अलावा अन्य अदालत वह अदालत होगी जिसमें अवार्ड दायर करना होगा। धारा 31 की उपधारा (4) में गैर-बाधा खंड के प्रभाव को विस्तृत करते हुए, यह विचार दिया गया है कि उप-धारा (4) न्यायालय में अनन्य अधिकारिता का निवेश करती है, के लिए जो किसी भी संदर्भ में एक आवेदन किया गया है और वह न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय के रूप में विचार करने के लिए सक्षम है और संदर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदन और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में की जानी चाहिए और अन्य अदालत में नहीं की जानी चाहिए । इसलिए, उप-धारा (4) न केवल उस न्यायालय पर विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करती है जिसके लिए किसी भी संदर्भ में आवेदन किया जाता है। लेकिन साथ ही किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देता है जो हो सकता है अच्छी तरह से इस ओर से अधिकार क्षेत्र है। यह स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि किसी विशेष न्यायालय में धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 14 (2) के तहत एक अवार्ड दायर करने की आवश्यकता थी, जिसमें अदालत होने के नाते अवार्ड की विषय-वस्तु को छूने वाला मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि अधिनियम के तहत संदर्भ में कोई आवेदन किसी अन्य अदालत में दायर किया गया है जो उस आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम था, फिर पहले उल्लिखित न्यायालय के बहिष्करण के लिए बाद की अदालत अकेले, धारा 31 (4) में निहित प्रावधान के अधिक प्रभाव को देखते हुए, अवार्ड पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा और अवार्ड को अकेले

उस अदालत में दायर करना होगा और किसी अन्य अदालत के पास उस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा.

23. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने कहा कि धारा 14 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधान न तो ओटिओस प्रदान किया जाएगा और न ही धारा 31 की उपधारा (4) पर उसके द्वारा रखे गए निर्माण के साथ असामंजस्य में खड़ा होगा क्योंकि धारा 2 (ग) में परिभाषित अभिव्यक्ति "न्यायालय" का पालन करने की आवश्यकता है जब तक कि इसमें कुछ भी प्रतिकूल न हो। जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। आगे यह कहा गया है कि शुद्ध व्याकरणिक निर्माण के साथ-साथ अधिनियम में निहित विभिन्न प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आमतौर पर न्यायालय के पास अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले प्रश्नों से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा, अध्याय IV में एक को छोड़कर जिसमें मध्यस्थता में शामिल विवाद के संबंध में मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दायर किया जाना आवश्यक होगा। आगे स्पष्ट करते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि जब कोई आवेदन किसी भी संदर्भ में उस पर विचार करने के लिए सक्षम अदालत के संदर्भ में किया जाता है, तो उस अदालत के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा और संदर्भ और मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदन उस अदालत में किए जायेंगे अकेले और किसी अन्य अदालत में नहीं। तथ्यों का विश्लेषण करते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने व्यक्त किया कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर इस न्यायालय का पूर्ण नियंत्रण था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा संदर्भ दिया गया था और मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के तरीके और तरीके के संबंध में आगे के निर्देश जारी किए गए थे और इसे पूरा करने के लिए समय तय किया गया था, अकेले इस न्यायालय के पास अवार्ड पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सैथ और स्केल्टन (ऊपर) पर भरोसा किया और व्यक्त किया कि सिद्धांत और अधिकार दोनों पर, इस न्यायालय के पास अकेले अवार्ड दाखिल करने का अधिकार क्षेत्र था।

24. यहां यह बताना आवश्यक है कि अपीलकर्ता की ओर से, कुंभा मावजी (ऊपर) पर भरोसा किया गया था ताकि इस रुख को मजबूत किया जा सके कि धारा 31 (4) संदर्भ किए जाने के बाद या संदर्भ के लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके स्वीप के भीतर ले जा सकती है संदर्भ के लिए पहले किए गए आवेदन और यदि ऐसा आवेदन अदालत में किया गया है, उस न्यायालय को ऐसे आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा। कुंभा मावजी के मामले की व्याख्या करते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने

कहा कि उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक विवाद उठाया गया था कि धारा 31 (4) मध्यस्थता के संदर्भ के लंबित रहने के दौरान केवल आवेदनों तक ही सीमित है और इस न्यायालय ने धारा 31 की योजना का विश्लेषण करने के बाद कहा कि कोई बोधगम्य कारण नहीं है कि विधायिका को उप-धारा (4) के संचालन को केवल एक मध्यस्थता की लंबितता, यदि जैसा कि तर्क दिया गया है, वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" अर्थ के रूप में लिया जाना है "संदर्भ के दौरान". अंततः इस न्यायालय ने माना कि धारा 31 की उप-धारा (4) में प्रयुक्त वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" का अर्थ है "किसी भी संदर्भ के दौरान", और निष्कर्ष निकाला कि धारा 31, उप-धारा (4) उस न्यायालय में अनन्य क्षेत्राधिकार निहित करेगी जिसमें अधिनियम की धारा 14 के तहत पहली बार एक अवार्ड दाखिल करने के लिए आवेदन किया गया है। इतना कहने के बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने टिप्पणी की: -

"22. हम यह देखने में विफल रहे हैं कि यह निर्णय अपीलकर्ता की ओर से दिए गए विवाद का जवाब देने में कैसे मदद करेगा। वास्तव में कुंभा मावजी मामले में निर्णय को इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम सुरजीत सिंह अटवा16। बाद के मामले में विवाद यह था कि क्या वाद के स्थगन के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन अधिनियम की धारा 31 (4) के अर्थ के भीतर एक संदर्भ में किया गया आवेदन था और इसलिए, बाद में आवेदन केवल उस अदालत में किया जा सकता है जिसमें मुकदमे के स्थगन की प्रार्थना की गई थी। इस विवाद के समर्थन में, कुंभा मावजी मामले पर भरोसा किया गया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि अधिनियम की धारा 31 (4) के तहत अभिव्यक्ति "किसी भी संदर्भ में" मध्यस्थता पूरी होने के बाद पहले किए गए आवेदन को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है और एक अंतिम अवार्ड दिया गया है और उपधारा मध्यस्थता कार्यवाही की लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों तक ही सीमित नहीं है। इस तर्क को नकारते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि वाक्यांश को दिए गए व्यापक अर्थ को स्वीकार करते हुए "किसी भी संदर्भ" का अर्थ है "संदर्भ के दौरान" एक आवेदन धारा 34 के तहत कुंभा मावजी मामले में विस्तृत वाक्यांश के अर्थ के भीतर एक संदर्भ में एक आवेदन नहीं है। अदालत ने विभिन्न धाराओं का संज्ञान लिया जिसके तहत संदर्भ देने से पहले आवेदन किया जा सकता है। इसलिए, कुंभ मावजी मामले में निर्णय का मतलब यह नहीं होगा कि अदालत में संदर्भ से पहले की कार्यवाही उस अदालत को इस तरह के अधिकार क्षेत्र के साथ कवर करेगी कि धारा 31 (4) में निहित प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए।

25. उपरोक्त विश्लेषण से केवल यह पता चलता है कि दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राय व्यक्त की कि कुंभ मावजी में बताए गए सिद्धांत अपीलकर्ता की ओर से दिए गए विवाद

का जवाब देने में मदद नहीं की और आगे कहा कि उक्त प्राधिकरण का मतलब यह नहीं होगा कि अदालत में संदर्भ के लिए पहले की कार्यवाही उस अदालत को इस तरह के अधिकार क्षेत्र के साथ कवर करेगी जो धारा 31 (4) में निहित प्रावधान को प्रस्तुत करती है। एक मजेदार तर्क यह भी दिया गया था कि यदि यह न्यायालय धारा 31 की उपधारा (4) का ऐसा निर्माण करके अधिकार क्षेत्र को अपने पास कर लेता है, तो यह शोकग्रस्त पक्ष को अपील करने और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित कर देगा। उक्त सबमिशन को रद्द करते हुए, कोर्ट ने सैथ एंड स्केल्टन (पी.) लिमिटेड मामले का उल्लेख किया और कहा कि इसी तरह की स्थिति में इस न्यायालय ने माना कि अवार्ड अकेले इस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जो निश्चित रूप से अपील करने का अवसर नकारात्मक होगा क्योंकि यह अंतिम अदालत है। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे कहा कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गरिकापति बनामरया (ऊपर) में माना गया है कि अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और ऊपरी अदालत में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और यह उस तारीख से मौजूद है जब से यह शुरू होता है, अधिकार से इनकार या पराजित नहीं किया जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जिसमें अपील के माध्यम से कोई आ सकता है, उन सभी तर्कों पर विचार करेगा जो हो सकते हैं अपीलकर्ता की ओर से प्रचार किया जाए। इसके बाद कहा गया है:-

"23. ... इस कोर्ट का दरवाजा अपीलकर्ता के लिए बंद नहीं किया जा रहा है। वास्तव में उनके लिए उन सभी विवादों को उठाने के लिए दरवाजा चौड़ा किया जा रहा है जिन्हें कोई भी एक प्रारंभिक समन में कार्यवाही में उठा सकता है। इसलिए, हमें इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

26. हमने उपरोक्त गद्यांश को यह उजागर करने के लिए निकाला है कि कैसे कुंभ मावजी में निर्धारित सिद्धांत को गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) के मामले में प्रतिष्ठित किया गया है। तर्क की सराहना करने के लिए, कुंभ मावजी (ऊपर) में बताए गए तथ्यों और सिद्धांतों का विश्लेषण करना आवश्यक है। उक्त मामले में, न्यायालय ने कहा कि विचार के लिए उठे तीन प्रश्न थे: -

(1). क्या अपीलकर्ता के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 (2) के संदर्भ में अदालत में अपनी ओर से अवार्ड दाखिल करने का अधिकार था;

(2). क्या अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अवार्ड कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किए गए थे गुवाहाटी अदालत की तुलना में पहले अदालत; और

(3). क्या अधिनियम की धारा 31 उप-धारा (4) का दायरा केवल मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता के दौरान अधिनियम के तहत आवेदनों तक सीमित है। "

27. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने तीसरे प्रश्न से कैसे निपटा और उक्त उद्देश्य के लिए, उक्त मामले में शामिल तथ्यों के बारे में खुद को अवगत कराना आवश्यक है। उक्त मामले में प्रतिवादी ने असम में गुवाहाटी के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत इस आशय का आवेदन दायर किया था कि अंपायर को अदालत में दोनों अवार्ड दायर करने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादी द्वारा गुवाहाटी न्यायालय में पहला आवेदन करने के एक सप्ताह बाद, अपीलकर्ता के वकीलों ने दो अवार्डों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा और उस पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। उप रजिस्ट्रार और सॉलिसिटर के बीच कुछ पत्राचार के बाद, पार्टियों को अवार्ड देने और न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायाधीश द्वारा उक्त अवार्डों पर निर्धारण के लिए एक तारीख तय करने का निर्देश जारी किया गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि समान अवार्डों के संबंध में, अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत एक होने के साथ-साथ असम में गुवाहाटी के अधीनस्थ न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मूल पक्ष कलकत्ता का न्यायालय में भी कार्यवाही शुरू की गई थी। प्रतिवादी द्वारा कलकत्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और अवार्डों की वैधता पर आपत्ति जताते हुए यह तर्क उठाया गया था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया और पंचाटों पर निर्णय पारित किया। खण्ड न्यायपीठ में अपील किए जाने पर विद्वान न्यायाधीशों का विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय यह कहते हुए कि कोई निर्णय नहीं हुआ था कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत उचित आवेदन और, परिणामस्वरूप, इस मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

28. अपीलों से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत किसी भी अदालत में एक अवार्ड दायर किया जा सकता है, जिसमें उस मामले में अधिकार क्षेत्र है, जिसमें संदर्भ संबंधित है और उक्त मामले में, संदर्भ एक अनुबंध से

उत्पन्न हुआ था जिसे कलकत्ता में दर्ज किया गया था और असम में किया जाना था और, इसलिए, गुवाहाटी न्यायालय के साथ-साथ कलकत्ता न्यायालय के पास संदर्भ के विषय पर अधिकार क्षेत्र था। पीठ ने भारत संघ द्वारा उठाई गई इस दलील पर ध्यान दिया कि गुवाहाटी न्यायालय में कलकत्ता उच्च न्यायालय को दिए गए आवेदन से पहले आवेदन किया गया था और इसलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि धारा 31 (4) केवल मध्यस्थता के संदर्भ के लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों से संबंधित है न कि पंचाट बनाने के बाद किए गए आवेदनों से। लीमेड सिंगल जज के अनुसार, एक अवार्ड दाखिल करने के लिए आवेदनों के बावजूद, अनन्य क्षेत्राधिकार इस सवाल के संदर्भ में निर्धारित किया गया था कि सक्षम अदालत कौन सी थी जिसमें अवार्ड था, वास्तव में, पहली बार उप-धारा के तहत दायर किया गया था (2) धारा 14 की, (जब अवार्ड दाखिल करने के लिए आवेदन पहली बार प्रस्तुत किया गया था तब से अलग). इस पृष्ठभूमि में, अधिनियम की धारा 31 (3) की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा कि केवल गुवाहाटी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। तीसरे प्रश्न के संबंध में जो धारा 12 की उपधारा (4) से संबंधित है। अधिनियम के अनुच्छेद 31 के अनुसार, न्यायालय ने उपबंधों को पुन: प्रस्तुत करने के बाद कहा-

" 11. उप-धारा (एल) इस सवाल से संबंधित है कि एक पूर्ण अवार्ड कहां दायर किया जाना है, और उस उद्देश्य के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है. उप-धारा (2) उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग के दायरे से संबंधित है, और यह कहकर अनन्य घोषित करता है कि "वैधता, प्रभाव या समझौते के पक्षकारों या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में सभी प्रश्न उस न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे जिसमें समझौते के तहत अवार्ड दिया गया है, या दायर किया जा सकता है, और किसी अन्य अदालत द्वारा नहीं"। उप-धारा (3) का उद्देश्य यह प्रदान करना है कि सभी मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन या अन्यथा ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले आवेदन केवल एक अदालत में किए जाने हैं, और संबंधित पार्टी को ऐसा करने का दायित्व देता है। इसके बाद उपधारा (4) आती है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उपधारा (3) से आगे जाना है, अर्थात्, न केवल संबंधित पक्ष को एक अदालत में सभी आवेदनों को फाइल करने का दायित्व डालना बल्कि अदालत में ऐसे आवेदनों के लिए अनन्य क्षेत्राधिकार निहित करना जिसमें पहला आवेदन पहले ही किया जा चुका है।

12. इस प्रकार यह धारा के व्यापक दृष्टिकोण पर देखा जाएगा 31 जबकि पहली उप-धारा अदालत के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें एक अवार्ड दायर किया जा सकता है,

उप-धाराएं (2), (3) तथा (4) का उद्देश्य उस निर्णय को तीन अलग-अलग तरीकों से प्रभावी बनाना है, (1) वैधता के संबंध में सभी प्रश्नों से निपटने के लिए एक अदालत में निहित अधिकार द्वारा, किसी अवार्ड या मध्यस्थता समझौते का प्रभाव या अस्तित्व, (2) संबंधित व्यक्तियों पर कास्टिंग करके के संबंध में सभी आवेदन दायर करने का दायित्व मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन या अन्यथा एक अदालत में ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होता है, और (3) उस अदालत में अनन्य क्षेत्राधिकार निहित करके जिसमें मामले से संबंधित पहला आवेदन दायर किया जाता है। संदर्भ, इसलिये, उप-धारा का (4) यह इंगित करता प्रतीत होता है कि उप-धारा मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों तक ही सीमित नहीं थी. प्रभावी और अनन्य के साथ एक एकल अदालत के कपड़े पहनने की आवश्यकता का अधिकार-क्षेत्र,और इन के संयुक्त संचालन द्वारा लाने के लिए तीन प्रावधान: संघर्ष और विरोध से बचाव समान रूप से आवश्यक है कि क्या प्रश्न मध्यस्थता के लंबित रहने के दौरान या मध्यस्थता पूरी होने के बाद या मध्यस्थता के पूरा होने से पहले उठता है. कोई बोधगम्य कारण नहीं है कि विधायिका को उप-धारा के संचालन को सीमित करने का इरादा क्यों करना चाहिए (4) केवल एक मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों के लिए, यदि जैसा कि तर्क दिया गया है, वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" अर्थ के रूप में लिया जाना है "संदर्भ के दौरान"." [रेखांकित]

29. अधिनियम की योजना और मध्यस्थता की विभिन्न श्रेणियों का और विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने कहा: -

"13. वास्तव में, नियोजित व्यापक भाषा के संबंध में इन उप-वर्गों में यह माना गया है कि उप-खंड (2) और (3) अपने सभी चरणों में सभी तीन वर्गों को कवर करते हैं। यदि हां, तो क्या यह सोचने का कोई पर्याप्त कारण है कि उप-धारा (4) का संचालन बहुत ही प्रतिबंधित था? अपीलकर्ता के लिए सुझाई गई इस उप-धारा के दृष्टिकोण पर, न केवल अवार्ड सुनाए जाने के बाद किए गए आवेदन को उप-धारा से बाहर रखा जाएगा।

(4) लेकिन के प्रारंभ होने से पहले किया गया एक आवेदन भी मध्यस्थता यानी संदर्भ के एक समझौते को दाखिल करने और उस पर एक निर्देश के लिए। यह याद रखना चाहिए कि अनुभाग 31 "सामान्य" शीर्षक वाले वर्गों के समूह में से एक है, जो धारा के आधार पर 26 सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है. जब तक उप-धारा में शब्दांकन (4) धारा 31 का इतना सम्मोहक नहीं है कि मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान आवेदनों के दायरे को सीमित किया जा सके, इस तरह के सीमित निर्माण को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए."

30. आगे बताते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा: -

"14. जैसा कि पहले ही कहा गया है, सीमित निर्माण का पूरा आधार उप-धारा (4) में प्रयुक्त वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" का अर्थ है जिसका अर्थ है "किसी भी संदर्भ के दौरान"। लेकिन इसका ऐसा अर्थ किसी भी सामान्य अर्थ में सम्मोहक नहीं है।

पूर्वसर्ग "में" का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है और यह अर्थ के विभिन्न रंगों को व्यक्त करने में सक्षम है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इस पूर्वसर्ग के अर्थ के रंगों में से एक है "किसी चीज़ के संदर्भ या संबंध को व्यक्त करना; संदर्भ या संबंध में; के मामले में, मामले में, मामला, या प्रांत के। प्रयुक्त विशेष रूप से उस क्षेत्र या विभाग के संबंध या संदर्भ में जिसके संबंध या संदर्भ में एक विशेषता या गुणवत्ता समर्पित है। "

धारा 31 उप-धारा (4) के संदर्भ में, यह सोचना उचित है कि वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" का अर्थ है "संदर्भ के मामले में"। शब्द "संदर्भ" अधिनियम में परिभाषित किया गया है "मध्यस्थता का संदर्भ", वाक्यांश "एक संदर्भ में" का अर्थ होगा "मध्यस्थता के संदर्भ के मामले में". वाक्यांश "एक संदर्भ में" इसलिये, इसलिए, मध्यस्थता पूरी होने के बाद पहले किए गए एक आवेदन को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है और एक अंतिम अवार्ड दिया गया है, और हमारी राय में यह संदर्भ में इसका सही निर्माण है. इसलिए, हमारा विचार है कि धारा 31 (4) में अनन्य क्षेत्राधिकार निहित होगा वही कोर्ट जिसमें एक अवार्ड दाखिल करने के लिए एक आवेदन है जो अधिनियम की धारा 14 के तहत पहली बार बनाया गया."

[जोर दिया गया]

31. इससे पहले कि हम कुंभा मावजी के अनुपात का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, सुरजीत सिंह अटवाल (ऊपर) में क्या अभिनिर्धारित किया गया है, इसका उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मुद्दे से निपट रही थी कि क्या अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा किया गया आवेदन अधिनियम की धारा 31 (4) के अर्थ के भीतर एक संदर्भ में एक आवेदन था।

"5..., मध्यस्थता अधिनियम में अलग-अलग धाराएं हैं जिनके तहत कोई भी संदर्भ दिए जाने से पहले ही आवेदन किया जाना है। अनुभाग 8 उदाहरण के लिए, न्यायालय की शक्ति का आह्वान करने के लिए एक आवेदन प्रदान करता है, जब पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति में सहमत होने में विफल रहते हैं, जिसके लिए संदर्भ दिया जा सकता है. इसी तरह धारा 20 भी मध्यस्थता समझौते को अदालत में फाइल करने के लिए एक आवेदन प्रदान करती है

ताकि मध्यस्थ के संदर्भ का आदेश बनाया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से संदर्भ के पूर्वकाल के अनुप्रयोग हैं लेकिन वे एक संदर्भ की ओर ले जाते हैं। इस तरह के अनुप्रयोग निस्संदेह "संदर्भ के मामले में" आवेदन हैं और हो सकते हैं। ये आवेदन अधिनियम की धारा 31(4) के दायरे में आते हैं, भले ही ये आवेदन किसी संदर्भ से पहले किए गए हों। लेकिन धारा 34 के तहत एक आवेदन स्पष्ट रूप से उसी श्रेणी से संबंधित आवेदन नहीं है। इसका किसी संदर्भ से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल एक मध्यस्थता समझौते को प्रभावी बनाने और एक पार्टी को अपने स्वयं के समझौते के विपरीत अदालत में जाने से रोकने का इरादा है कि विवाद का फैसला एक निजी न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है।

और फिर:-

"6. इसलिए, हम यह नहीं मानते हैं कि धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन कुंभ मावजी मामले में इस न्यायालय द्वारा उस वाक्यांश को दिए गए व्यापक अर्थ के भीतर भी एक संदर्भ में एक आवेदन है। धारा 31 4) द्वारा लगाई गई दूसरी शर्त यह है कि स्थगन के लिए आवेदन उस न्यायालय में किया जाना चाहिए जो इस पर विचार करने के लिए सक्षम हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 34 में अभिव्यक्ति "न्यायिक प्राधिकरण" का उपयोग किया जाता है। यह धारा एक न्यायिक प्राधिकारी को एक आवेदन प्रदान करती है जिसके समक्ष उस कार्यवाही के स्थगन के लिए कानूनी कार्यवाही लंबित है। कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष जिसके समक्ष यह लंबित है, मध्यस्थता अधिनियम के तहत एक आवेदन है जो इसे स्वीकार करने के लिए सक्षम न्यायिक प्राधिकारी के पास है। लेकिन न्यायिक प्राधिकरण को संदर्भ की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्न को तय करने के लिए धारा 2 (ग) के तहत सक्षम अदालत होने की आवश्यकता नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक पार्टी एक अदालत में एक मुकदमा दायर करने का विकल्प चुन सकती है जो इस मामले में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और केवल इसलिए कि इस तरह के मुकदमे में प्रतिवादी को वाद के स्थगन के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत उस न्यायालय को एक आवेदन करना होगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय, जिसके पास अन्यथा मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अधिनियम की धारा 2 (ग) के अर्थ के भीतर एक न्यायालय बन जाता है। हमने जो विचार व्यक्त किया है वह छोटेवलाल शामलाल बनाम कूच बिहार ऑयल मिल्स लिमिटेड के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों से सिद्ध होता है।17, ब्रिटानिया बिल्डिंग एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम गोबिंदा चंद्र भट्टचार्या18 और बसंती कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ढींगरा ब्रदर्स19।"

32. उपरोक्त दो निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि कुंभ मावजी में "संदर्भ" को व्यापक अर्थ दिया गया है और सुरजीत सिंह अटवाल (ऊपर) में भी इसका पालन किया गया है। गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कुंभटल मावजी में दिए गए फैसले को अलग करते हुए कहा कि पहले के मामले में अनुपात का मतलब यह नहीं होगा कि अदालत में संदर्भ से पहले की कार्यवाही उस अदालत को इस तरह के अधिकार क्षेत्र से जोड़ देगी कि धारा 31 (4) में निहित प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए। हम पूर्वोक्त सिद्धांत का थोड़ा बाद में उल्लेख करेंगे। इससे पहले, हम कुछ अन्य उद्घोषणाओं का उल्लेख करना चाहेंगे जिनमें यह माना गया है कि यदि कार्यवाही पर नियंत्रण है तो केवल उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। हमने पहले सैथ और स्केल्टन (ऊपर) का उल्लेख किया है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) और बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (ऊपर) से प्रेरणा ली है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया जिसमें निर्देश जारी किए गए थे कि मध्यस्थ इस न्यायालय में अवार्ड दायर करेगा और कोई भी आवेदन जो मध्यस्थता कार्यवाही के समापन के दौरान या बाद में दायर किया जाना आवश्यक हो सकता है, केवल इस न्यायालय में दायर किया जाएगा और, तदनुसार, इसने निर्देश दिया कि धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका केवल इस न्यायालय में दायर की जा सकती थी। यह आदेश 1996 के अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में पारित किया गया था। जैसा कि हम उक्त आदेश से देखते हैं, कोई स्वतंत्र कारण नहीं बताया गया है, लेकिन आदेश पूरी तरह से पहले के आदेश के आधार पर पारित किया गया है।

33. इस मोड़ पर, हम एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (ऊपर) में हाल के निर्णय को तुरंत संदर्भित करना उचित समझते हैं। तीन-न्यायाधीश की एक बेंच 1996 अधिनियम की धारा 2(1)(ड) के तहत "न्यायालय" के अर्थ पर विचार कर रही थी। संदर्भ का जवाब देते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1996 के अधिनियम की धारा 2 (1) (ड) और धारा 42 का उल्लेख किया और उस संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया है: -

"20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 2 (1) (ड) में "न्यायालय" की परिभाषा 1940 अधिनियम की धारा 2 (ग) में निहित अपने पूर्ववर्ती से भौतिक रूप से भिन्न है। ऐसे कई कारण हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संभवतः धारा 2 (1) (ड) के अर्थ के भीतर "अदालत" क्यों नहीं माना जा सकता है, भले ही वह मध्यस्थ कार्यवाही पर सीसिन को बरकरार रखता हो. सबसे पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परिभाषा संपूर्ण है और दो संभावित अदालतों में से केवल एक को पहचानती है। दूसरा, 1940 के अधिनियम के तहत,

अभिव्यक्ति "सिविल कोर्ट" को एक अपीलीय अदालत को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक माना गया है और इसलिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय शामिल होगा जैसा कि 1940 अधिनियम के तहत पूर्वोक्त दो निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया था। यद्यपि यह प्रस्ताव अपने आप में संदेह के लिए खुला है, क्योंकि अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला सर्वोच्च न्यायालय एक साधारण अपीलीय न्यायालय नहीं है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह कारण भी वर्तमान परिभाषा के तहत प्राप्त नहीं होता है, जो या तो प्रधान सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की बात करता है। तीसरे, यदि किसी आवेदन को सीधे उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है, तो जहां तक अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत धारा 9 और 34 के अंतर्गत उपबंधित आवेदनों का संबंध है, वह अपील उपलब्ध नहीं होगी। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई और अपील भी उपलब्ध नहीं होगी। एकमात्र अन्य तर्क जो संभवतः बनाया जा सकता है वह यह है कि सभी परिभाषा खंड इसके बनाम परीत संदर्भ के अधीन हैं। धारा 42 का संदर्भ किसी भी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि धारा 42 में "न्यायालय" शब्द को परिभाषित करने के बजाय अन्यथा समझा जाना चाहिए। धारा 42 केवल यह देखने के लिए है कि मध्यस्थता के संबंध में सभी आवेदनों पर अकेले एक अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा। समझौते जो किसी भी तरह से जी को सक्षम नहीं करते हैं धारा 42 के अर्थ के भीतर "न्यायालय" बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय। यह उपयुक्त रूप से कहा गया है कि फोरम संयोजकों के नियम को धारा 42 द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, देखें जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बनाम जिंदल प्रैक्सैर ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड20 एससीसी एट प. 542, कंडिका 59)। धारा 42 भी 1940 के अधिनियम की धारा 31(4) से स्पष्ट रूप से भिन्न है। कि अभिव्यक्ति "इसे सुनने के लिए सक्षम अदालत में बनाई गई है" धारा 42 में जगह नहीं पाती है। यह इस कारण से है कि, धारा 2 (1) (ड) के तहत, सक्षम अदालत को मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्रधान सिविल कोर्ट या मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के रूप में तय किया गया है, और कोई अन्य अदालत नहीं। इन सभी कारणों से, हम मानते हैं कि 1940 अधिनियम के तहत निर्णय 1996 अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं होंगे, और धारा 42 के प्रयोजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय "अदालत" नहीं हो सकता है।

21. एक अन्य सवाल है कि क्या धारा 42 मध्यस्थ कार्यवाही समाप्त होने के बाद लागू होता है। हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिव्यक्ति "एक मध्यस्थता समझौते के संबंध में" व्यापक आयात के शब्द हैं और मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान या बाद में किए

गए आवेदनों में ले जाएगा समाप्त हो गए हैं। पहले के एक फैसले में, कुंभा मावजी बनाम भारत डोमिनियन, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या 1940 के अधिनियम की धारा 31 (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “में कोई संदर्भ" उन मामलों को शामिल करेगा जो मध्यस्थ कार्यवाही समाप्त होने के बाद हैं और एक अवार्ड में समाप्त हो गए हैं. यह माना गया था कि शब्द "किसी भी संदर्भ में" का अर्थ "संदर्भ के दौरान" नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ है "संदर्भ के मामले में" और यह कि इस तरह का वाक्यांश मध्यस्थता पूरा होने के बाद किए गए आवेदन को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक और व्यापक है और अंतिम अवार्ड दिया जाता है (देखें एससीआर पी.पी. 891-93: एआईआर पी.पी. 317-18, कंडिका 13-16। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 42 व्यापक है "एक मध्यस्थता समझौते के संबंध में" और निश्चित रूप से ऐसे अनुप्रयोगों को शामिल करेगा."

हमने उक्त निर्णय का विस्तार से उल्लेख किया है क्योंकि हम उसमें बताए गए सिद्धांत से सहमत हैं और बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में जो कहा गया है उसे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

34. नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) में, इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अंपायर के रूप में नियुक्त किया था और यह भी माना था कि संदर्भ नया नहीं था, बल्कि अधिनियम के तहत पहले की कार्यवाही की निरंतरता थी। इसके अलावा, न्यायालय ने इस न्यायालय में अवार्ड दायर करने का निर्देश दिया। विद्वान मध्यस्थ द्वारा अवार्ड पारित किए जाने के बाद, राजस्थान राज्य ने अदालत के अवार्ड नियम बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया और साथ ही, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत याचिका दायर की और प्रतिवादी द्वारा वादकालीन आवेदन दायर किया गया था जिसमें इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी कि वह अवार्ड को पूर्ण बनाए और प्रतिवादी द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ उठाई गई आपत्ति पर विचार करे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अंपायर द्वारा किए गए आदेश के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्रतिवादी के रुख को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा: -

" 11. इस न्यायालय के दिनांक 4-10-2005 के निर्णय से, इस न्यायालय द्वारा इसके ऑपरेटिव भाग में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अंपायर द्वारा पारित किया जाने वाला अवार्ड इस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए

और दूसरी बात, निर्णय में ही यह स्पष्ट किया गया था कि यह एक नए संदर्भ का मामला नहीं था, बल्कि पहले की कार्यवाही की निरंतरता थी और इस प्रकार अधिनियम आवेदन करना जारी रखें। मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने स्पष्ट रूप से देखा कि चूंकि मध्यस्थ को इस न्यायालय में अपना अवार्ड दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए अपीलकर्ता के आवेदन की आपत्तियों के साथ-साथ सुनवाई के योग्य भी इस न्यायालय में अकेले दायर किया जाना चाहिए और, इसलिए, इस न्यायालय के पास अपीलकर्ता के आवेदन और प्रतिवादी द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

35. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत दायर आपत्तियों से निपटने का अधिकार क्षेत्र था।

36. हम तुरंत यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) में, मामला अधिनियम की धारा 20 के तहत संदर्भ से संबंधित है।

37. वर्तमान में, हम सैथ और स्केल्टन (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए तर्क का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उक्त मामले में न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित निर्देश और आगे की कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही पर इस न्यायालय द्वारा पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का संकेत देती है। सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"21. सीटी.ए. सीटी नचियप्पा चेट्टियार बनाम सीटी. ए. सीटी. सुब्रमण्यम चेट्टियार यह सवाल उठा कि क्या ट्रायल कोर्ट के पास एक मध्यस्थ को एक सूट की विषय-वस्तु को संदर्भित करने का अधिकार क्षेत्र था जब सूट में पारित डिक्री उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी। धारा 21 के आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई प्रतिशोध, जब अपील लंबित थी, और इस तरह के संदर्भ के परिणामस्वरूप दिया गया अवार्ड, थे। दोनों अमान्य हैं क्योंकि ट्रायल कोर्ट संदर्भ का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं था। इस न्यायालय ने उक्त विवाद को खारिज कर दिया और अधिनियम की धारा 2 (ग) और 21 के संदर्भ के बाद कहा कि धारा 21 में होने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय" में अपीलीय अदालत भी शामिल है, जिसके समक्ष कार्यवाही वाद की निरंतरता है। यह आगे कहा गया कि धारा 21 में "सूट" शब्द में अपीलीय कार्यवाही भी शामिल है। हमारी राय में, आवेदन करना उपरोक्त निर्णय के अनुरूप, अधिनियम की धारा

14 (2) में होने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय" को उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें यह होता है। इसलिए समझा गया, यह इस प्रकार है कि यह न्यायालय धारा 14 (2) के तहत न्यायालय है जहां मध्यस्थता अवार्ड वैध रूप से दायर किया जा सकता है।

38. इस पृष्ठभूमि में, सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार (ऊपर) में जो कहा गया है, उसमे साफ-साफ कहा गया है। निर्णय में वर्णित तथ्य यह है कि प्रतिवादी द्वारा उसमें एक विभाजन वाद दायर किया गया था। विचार के लिए जो प्रश्न उभरा वह संबंधित था मध्यस्थों द्वारा किए गए अवार्ड की वैधता के लिए, जिनके लिए पार्टियों के बीच विवाद में मामलों को वर्तमान मुकदमेबाजी लंबित होने के कारण भेजा गया था। वाद की सुनवाई निर्धारित की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 9 के तहत एक अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उक्त आवेदन को ट्रायल जज ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसमें एक नई और असंगत याचिका उठाने की मांग की गई थी। उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आयुक्त के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त होगा यदि केवल अंतिम डिक्री के पारित होने पर रोक लगा दी जाए। उक्त आदेश पारित होने के बाद, आयुक्त ने अपनी जांच शुरू की लेकिन इससे पहले कि जांच कोई प्रगति कर पाती, पार्टियों ने अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का फैसला किया। चूंकि वाद में अन्य कार्यवाहियों पर रोक नहीं लगाई गई थी, इसलिए पक्षकारों द्वारा विचारण न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और प्रमाणित किया कि प्रस्तावित संदर्भ नाबालिगों के लाभ के लिए और इसलिए "वाद में विवाद में मामलों और सभी मामलों और उससे जुड़ी कार्यवाही" को पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थों द्वारा निर्धारण के लिए संदर्भित किया गया। मध्यस्थों ने अपनी कार्यवाही शुरू की और एक अंतरिम निर्णय पारित किया जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था। जमीन पर अवार्ड को रद्द करने के लिए एक आपत्ति दायर की गई थी कि संदर्भ खराब था और मध्यस्थ कदाचार के दोषी थे। इसके अलावा, कई अन्य आधार भी उठाए गए थे। उक्त आपत्तियों को दूसरे पक्ष द्वारा दूर किया गया था और पंचाट की शर्तों में डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई थी। ट्रायल जज ने मध्यस्थों के कथित कदाचार के संबंध में आपत्तिकर्ता के रुख को खारिज कर दिया और आगे पाया कि इस विवाद में कोई सार नहीं था कि संदर्भ अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती का परिणाम था। ट्रायल जज ने, तथापि, मध्यस्थों के संदर्भ में

जो सूट में विवाद में मामलों को शामिल किया था, उसमें बर्मा में अचल संपत्तियों के संबंध में शीर्षक के प्रश्न शामिल थे और इसलिए यह अधिकार क्षेत्र के बिना और अमान्य था। अपील को प्राथमिकता दिए जाने पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी) की अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को इस आधार पर मध्यस्थों के कदाचार और संदर्भ की अमान्यता के आधार पर स्वीकार किया कि यह जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव का परिणाम था। इसने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष को और उलट दिया कि संदर्भ और अवार्ड अमान्य थे क्योंकि वे बर्मा में अचल संपत्तियों से संबंधित थे और उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश का उल्लंघन करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि संदर्भ का आदेश अधिनियम की धारा 21 के तहत अमान्य था और ट्रायल कोर्ट संदर्भ देने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन उक्त विवाद को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने पाया कि संदर्भ और अवार्ड वैध थे और, तदनुसार, यह निर्देश दिया कि अवार्ड के संदर्भ में एक डिक्री पारित की जानी चाहिए.

39. इस न्यायालय ने, विश्लेषण के दौरान, संदर्भ की वैधता के खिलाफ आपत्ति पर विचार किया क्योंकि इससे पहले गंभीरता से दबाया गया था। यह प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया गया कि संदर्भ और अवार्ड थे अमान्य है क्योंकि ट्रायल कोर्ट अधिनियम की धारा 21 के तहत संदर्भ का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं था। न्यायालय ने धारा 21 का उल्लेख किया और कहा कि संदर्भ के लिए लिखित आवेदन करने से पहले दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) वाद के सभी इच्छुक पक्षों को संदर्भ प्राप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए, और (ii) संदर्भ की विषय वस्तु वाद के पक्षकारों के बीच मतभेद में कोई मामला होना चाहिए। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा के निर्माण में दो शर्तों के निहितार्थ का विश्लेषण करने और "न्यायालय" शब्द के निरूपण को निर्धारित करने की मांग करने के अलावा कोई कठिनाई नहीं है। इसने सवाल उठाया कि प्रासंगिक प्रावधान में "कोर्ट" शब्द का क्या अर्थ है। उसमें अपीलकर्ताओं के अनुसार, "कोर्ट" अधिनियम की धारा 2 (ग) द्वारा परिभाषित अदालत का मतलब है। अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क यह था कि संदर्भ का आदेश केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, न कि अपीलीय अदालत द्वारा और इसलिए, मुकदमे के फैसले के बाद कोई संदर्भ नहीं हो सकता है और ट्रायल कोर्ट के फैसले के अनुसार एक डिक्री तैयार की गई थी। जैसा कि उक्त मामले में, ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय

दिया गया था और इसके अनुसार एक प्रारंभिक डिक्री तैयार की गई थी, संदर्भ का कोई आदेश देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबमिशन से निपटते हुए, कोर्ट ने कहा: -

"35. क्या संदर्भ में "अदालत" का अर्थ ट्रायल कोर्ट है? इस निर्माण को धारा द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक के साथ आसानी से सामंजस्य नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट में एक डिक्री तैयार होने और इसके खिलाफ अपील प्रस्तुत करने के बाद, अपील में कार्यवाही वाद की निरंतरता है; और आम तौर पर, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 107 द्वारा निर्धारित किया गया है, अपीलीय अदालत के पास ट्रायल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं और वह लगभग उन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकती है जो ट्रायल कोर्ट को प्रदान किए जाते हैं और लगाए जाते हैं। यदि ऐसा है, तो अपील के लंबित रहने के दौरान, क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद में पक्षकारों के बीच मतभेद के मामले अपील में विवादित मामले बने रहेंगे? अपील का निर्णय अपील के तहत डिक्री की प्रकृति और प्रभाव को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता है; और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले के लिए उठाए गए सभी बिंदु हो सकते हैं और अक्सर सूट में उनके बीच अंतर में बिंदु होते हैं; और, उस अर्थ में, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बावजूद अपीलीय अदालत के समक्ष पक्षों के बीच मुकदमे में मतभेद के समान बिंदु जारी हैं। यदि ऐसी अपील के लंबित रहने के दौरान इच्छुक पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि अपील में उनके बीच मतभेद वाले किसी भी मामले को संदर्भित किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के लिए अनुभाग की पहली दो शर्तें पूरी होती हैं। जब धारा 21 अधिनियमित की गई थी, तो क्या विधायिका का इरादा था कि अपील के लंबित रहने के दौरान कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही पक्षकार द्वारा निर्धारित पहली दो शर्तों को पूरा करते हों?

41. धारा 21 को लागू करने के उद्देश्य और उक्त धारा के पीछे की मंशा का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया: -

"36. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 21 में प्रयुक्त शब्द अनुसूची II में प्रयुक्त शब्दों के समान हैं, कंडिका 1, पूर्ववर्ती संहिता के अनुसार, इस दलील को बनाए रखना मुश्किल होगा कि धारा 21 के अधिनियमन का उद्देश्य मौजूदा प्रथा से इस तरह के हिंसक विचलन को लाना था। यदि विधायिका की यह मंशा होती तो वह धारा 21 में प्रयुक्त शब्दों में उचित परिवर्तन करती। इसलिए, "अदालत" शब्द का अर्थ केवल ट्रायल कोर्ट के रूप में नहीं किया जा सकता है जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है। इसी तरह, "सूट" शब्द को केवल सूट के अर्थ के संकीर्ण अर्थ में नहीं लगाया जा सकता है और अपील नहीं।

हमारी राय में, धारा 21 में "अदालत" में अपीलीय अदालत की कार्यवाही शामिल है जिसके समक्ष आम तौर पर सूट की निरंतरता के रूप में मान्यता प्राप्त है; और "सूट" शब्द में ऐसी अपीलीय कार्यवाही शामिल होगी। हम यह जोड़ सकते हैं कि जबकि अधिनियम की धारा 41 इस दृष्टिकोण के अनुरूप है, कोई अन्य धारा इसके खिलाफ नहीं है।

41. आगे बढ़ते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार व्यक्त किया: -

"37. हमारी राय में अनुभाग की योजना में प्रयुक्त "निर्णय" शब्द को योग्य बनाने वाले किसी भी शब्द को जोड़ने की अनुमति नहीं देती है। अभिव्यक्ति "निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय" का उद्देश्य केवल समय की सीमा को दिखाना है जिसके आगे कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है, और अंतिम निर्णय सुनाए जाने पर यह सीमा तक पहुंच जाती है। यह प्रावधान कि "वाद में पक्षों के बीच मतभेद के किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है" को आगे की सीमा के अधीन नहीं किया जा सकता है कि उक्त मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है यदि यह अदालत के फैसले से कवर नहीं है। धारा का प्रभाव यह प्रतीत होता है कि जब तक न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तब तक किसी भी मामले को यानी, पार्टियों के बीच मतभेद वाले कुछ या सभी मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते कि वे इसके बारे में सहमत हों। यदि अपीलीय चरण में भी कोई संदर्भ दिया जा सकता है, जब पक्षों के बीच मतभेद वाले सभी मामले ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय द्वारा कवर किए जाते हैं, तो यह समझना मुश्किल है कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की लंबित रहने के दौरान संदर्भ की अनुमति देने में कोई और शर्त क्यों लगाई जानी चाहिए कि केवल ऐसे अंतर के मामलों को संदर्भित किया जा सकता है जो एक इंटरलोक्यूटरी निर्णय द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं अदालत का। हम तदनुसार यह मानते हैं कि ट्रायल कोर्ट के लिए यह खुला है कि वह मुकदमे के पक्षों के बीच मतभेद के किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करे, बशर्ते कि वे सहमत हों और अदालत द्वारा मुकदमे में अपना अंतिम निर्णय सुनाने से पहले किसी भी समय आवेदन करें। "

42. हम लाभ के साथ यह भी नोट कर सकते हैं कि न्यायालय ने संबोधित किया एक और जटिलता को क्योंकि अपील सामग्री समय पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। जो मुद्दा उठा वह यह था कि इस तरह के मामले में संदर्भ का आदेश देने के लिए अदालत के पास अधिकार क्षेत्र था। न्यायालय ने कहा कि यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि यदि मुकदमा ट्रायल कोर्ट में लंबित है और उसके द्वारा अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया है, तो

यह ट्रायल कोर्ट है जो संदर्भ का आदेश देने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार, यदि किसी वाद का निर्णय हो गया है, अंतिम निर्णय दिया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री तैयार कर ली गई है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, तो मामला समाप्त हो गया है और धारा 21 को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे की कार्यवाही करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे का निर्धारण करने वाली डिक्री ट्रायल कोर्ट द्वारा तैयार की गई है और इसे अपील की लंबित रहने के दौरान अपीलीय अदालत में ले जाया जाता है, तो यह अपीलीय अदालत है जो धारा 21 के तहत कार्य करने के लिए सक्षम है। यह आगे कहा गया कि इन श्रेणियों के मामलों में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जहां एक प्रारंभिक डिक्री तैयार की गई है और इसके खिलाफ अपील दायर की गई है, जटिलता इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि पार्टियों के बीच विवाद कानूनी रूप से दो अदालतों के समक्ष लंबित हैं। प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में और उसके परिणामस्वरूप पक्षकारों के बीच की जाने वाली कार्यवाहियां विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित हैं जबकि प्रारंभिक निर्णय और डिक्री द्वारा कवर किए गए पक्षों के बीच मतभेद के मामले अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा: -

“39... ऐसे मामले में शायद यह विचार करना तार्किक रूप से संभव हो सकता है कि प्रारंभिक डिक्री के बाद की कार्यवाही के संबंध में विवादों के संबंध में मध्यस्थता ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्देशित की जा सकती है, जबकि ट्रायल कोर्ट के प्रारंभिक निर्णय द्वारा संपन्न सभी मामलों के संबंध में मध्यस्थता जो अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है; लेकिन इस तरह का तार्किक दृष्टिकोण धारा 21 के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है; और किसी भी कठिनाई को हल करने में मदद करने के बजाय, यह व्यवहार में अनावश्यक जटिलताएं पैदा कर सकता है। अधिकांश मामलों में, अंतिम डिक्री कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट के समक्ष विवाद के मामले अपील में विवाद के मामलों के साथ इतने अटूट रूप से जुड़े होते हैं कि प्रभावी मध्यस्थता का आदेश केवल एक संदर्भ द्वारा दिया जा सकता है और इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि इस तरह के मामले में जहां दोनों अदालतें विवादित मामलों के पास हैं, यह किसी भी अदालत के लिए खुला होगा कि वह पक्षों के बीच विवाद में सभी मामलों के संबंध में संदर्भ। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के निर्माण पर निर्णयों का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है यदि मध्यस्थों के दो सेट नियुक्त किए जा सकते हैं. हमें नहीं लगता कि ऐसा संघर्ष होने की संभावना है। यदि पक्ष ट्रायल कोर्ट में जाते हैं और संदर्भ का आदेश प्राप्त करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से अपीलीय कार्यवाही को वापस

लेने या रहने के उचित आदेश मांगेंगे; यदि, दूसरी ओर, वे अपीलीय अदालत से संदर्भ का एक समान आदेश प्राप्त करते हैं, तो वे समान कारणों से ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन करेंगे। वर्तमान मामले में प्रारंभिक डिक्री के बाद की कार्यवाही ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित थी और इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट धारा 21 के तहत कार्य करने के लिए सक्षम था। उस दृष्टिकोण पर, धारा 21 के प्रावधानों के आधार पर संदर्भ की वैधता के खिलाफ आपत्ति सफल नहीं हो सकती है। "

43. न्यायालय के पूर्वोक्त बनाम श्लेषण की सराहना की जानी चाहिए। हमें ऐसा लगता है, उक्त मामले में तथ्य काफी अलग थे और न्यायालय ने जो सिद्धांत निर्धारित किया है, वह स्पष्ट रूप से बताता है कि अपीलीय अदालत में प्रथम दृष्टया न्यायालय शामिल है और अधिनियम की धारा 21 के तहत संदर्भ की शक्ति का प्रयोग अभी भी अपीलीय अदालत द्वारा कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है। उक्त निर्णय में निर्धारित प्रस्ताव से हमारा कोई मतभेद नहीं है। उक्त निर्णय की समानता को अधिनियम की धारा 14 (2) में होने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय" को समझने के लिए लागू किया गया है। सच है, सैथ और स्केल्टन (ऊपर) में, विद्वान न्यायाधीशों ने उस संदर्भ को बताते हुए इसे योग्य बनाया है जिसमें यह होता है। हमारे विचारशील विचार को प्रदान करते हुए, हमें यह सोचने के लिए निपटाया जाता है कि सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार (ऊपर) से ली गई सादृश्य और बेहतर अदालतों में आवेदन करना शर्त पूर्ववर्ती संलग्न करना कि उच्चतर न्यायालय को मध्यस्थ कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, इसका अनन्य अधिकार क्षेत्र न तो सही है और न ही स्वीकार्य है। सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार में फैसले को ध्यान से पढ़ने पर, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसे सीधे फैसले से निपटने के लिए ऊपरी अदालतों को शक्ति प्रदान करने के लिए दूर से जोड़ा जा सकता है। सादृश्य, यदि कोई हो, को एक विशेष स्तर पर रोकना होगा। स्पष्ट करने के लिए, किसी दिए गए मामले में, पार्टियां मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकती हैं और अदालत इसे मध्यस्थता के लिए भेजना उचित समझ सकती है। लेकिन इस सिद्धांत का विस्तार करने के लिए कि अदालत ने मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद निर्देश जारी किए थे और इसके नियंत्रण में था और इसलिए,अवार्ड केवल उच्च न्यायालय के समक्ष इसे न्यायालय का नियम बनाने के उद्देश्य से दायर किया जा सकता है जैसा कि है सैथ और स्केल्टन में अभिनिर्धारित किया गया जो सीटी. ए. सीटी. नचियप्पा चेट्टियार में बताए गए सिद्धांत कीसही समझ से प्रवाहित नहीं होता।

44. गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर), जैसा कि हमने पहले वर्णन किया है, "न्यायालय" की परिभाषा को संदर्भित करता है और धारा 14 की उप-धारा (2) और धारा 31 की उप-धारा

(4) का विश्लेषण करता है और यह मानता है कि धारा 31 की उप-धारा (4) न केवल अदालत को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। एक आवेदन किसी भी संदर्भ में किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र को भी बाहर कर देता है, जो अपने आप में अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है। इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए, बेंच ने कहा है: -

“15. यदि किसी विशेष न्यायालय में धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 14 (2) के तहत एक अवार्ड दायर किया जाना आवश्यक था, तो अदालत होने के नाते जिसमें अवार्ड की विषय-वस्तु को छूने वाला मुकदमा दायर किया जाना आवश्यक था, लेकिन यदि अधिनियम के तहत संदर्भ में कोई आवेदन किसी अन्य अदालत में दायर किया गया है जो उस आवेदन को स्वीकार करने के लिए सक्षम था, फिर पहले उल्लेखित न्यायालय के बहिष्करण के लिए, बाद की अदालत अकेले, धारा 31 (4) में निहित प्रावधान के अधिक प्रभाव को देखते हुए, अवार्ड पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा और अवार्ड को अकेले उस अदालत में दायर करना होगा और किसी अन्य अदालत के पास उस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

और फिर:-

"16. धारा 14 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान न तो ओटियोस प्रदान किया जाएगा और न ही उस निर्माण पर असामंजस्य में खड़ा होगा जिसे हम धारा 31 की उप-धारा (4) पर रखते हैं क्योंकि धारा 2 (ग) में परिभाषित अभिव्यक्ति "न्यायालय" का पालन करना होगा जब तक कि उस विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो जिसमें इसका उपयोग किया गया है। इसलिए, अभिव्यक्ति "अदालत" के रूप में धारा 14 (2) में इस्तेमाल को इस पृष्ठभूमि में समझना होगा।

पूर्वोक्त तर्क, वास्तव में इस प्रस्ताव को स्थापित करने की नींव नहीं रखता है कि यदि एक बेहतर अदालत मध्यस्थ कार्यवाही पर नियंत्रण रखती है तो अवार्ड केवल उक्त न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है।

45. इस मोड़ पर, हम शब्द की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं अधिनियम की धारा 2 (ग) में 'न्यायालय'। यह इस प्रकार है: -

"धारा 2 (ग) 'न्यायालय' का अर्थ है एक सिविल कोर्ट जिसका अधिकार क्षेत्र है संदर्भ की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्न का निर्णय करें यदि वह किसी वाद की विषय-वस्तु थी, लेकिन

धारा 1 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही के उद्देश्य को छोड़कर नहीं करता है धरा 21, एक लघु कारण न्यायालय शामिल करें।

46. धारा 14 द्वारा हस्ताक्षरित और दायर किए जाने वाले अवार्ड से संबंधित है। मध्यस्थ। धारा 14 (2) "न्यायालय" शब्द को संदर्भित करती है। उप-धारा (2) इस प्रकार है:-

"(2) मध्यस्थ या अंपायर करेगा, मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष के अनुरोध पर या ऐसी पार्टी के तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या यदि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है और मध्यस्थता और अवार्ड के संबंध में फीस और शुल्क के भुगतान पर और अवार्ड दाखिल करने की लागत और शुल्क, अवार्ड या इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति, किसी भी बयान और दस्तावेजों के साथ जो उनके समक्ष लिया गया हो और साबित किया गया हो, अदालत में दायर किया जाना है, और न्यायालय इसके बाद अवार्ड दाखिल करने के पक्षकारों को नोटिस देगा।

47. धारा 31 न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित है। उपधारा (I) यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उस मामले में अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में एक अवार्ड दायर किया जा सकता है जिससे संदर्भ संबंधित है। उप-धारा (2) यह निर्धारित करती है कि किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद, इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी अवार्ड की वैधता, प्रभाव या अस्तित्व या समझौते के पक्षकारों के बीच एक मध्यस्थता समझौते या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों के बारे में सभी प्रश्न उस न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे जिसमें समझौते के तहत अवार्ड दिया गया है, या दायर किया जा सकता है, और किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं। उप-धारा (4) जो एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है, निम्नानुसार पढ़ती है: -

(4) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यत्र अंतवष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्देश में उसके अधिनियम के अधीन कोई आवेदन उस पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय में किया गया है, वहां केवल उस न्यायालय की माध्यस्थ कार्यवाहियों पर अधिकारिता होगी और उस संदर्भ और मध्यस्थता कार्यवाही के आपसे उत्पन्न होने वाले सभी उत्तरवर्ती आवेदन वह अदालत किसी अन्य अदालत में नहीं।

48. उक्त प्रावधान, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, की व्याख्या कुंभ मावजी (ऊपर) में की गई है। उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि उक्त उप-धारा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उप-धारा (3) से आगे जाना है, अर्थात, केवल

संबंधित पक्ष पर निहित करने के लिए एक अदालत में सभी आवेदन दायर करने का दायित्व नहीं डालना है। अदालत में ऐसे आवेदनों के लिए विशेष क्षेत्राधिकार जिसमें पहला आवेदन पहले ही किया जा चुका है। तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रखी गई व्याख्या इस आशय की है कि धारा 31 के व्यापक दृष्टिकोण पर कि जबकि पहली उप-धारा उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें एक निर्णय दायर किया जा सकता है, उप-धारा (2), (3) और (4) का उद्देश्य उस क्षेत्राधिकार को तीन अलग-अलग तरीकों से प्रभावी बनाना है, (1) वैधता के संबंध में सभी प्रश्नों से निपटने के लिए एक अदालत में अधिकार निहित करके, किसी अवार्ड या मध्यस्थता समझौते का प्रभाव या अस्तित्व, (2) संबंधित व्यक्तियों पर मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के संबंध में सभी आवेदनों को दर्ज करने का दायित्व या अन्यथा एक अदालत में ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होने पर, और (3) उस अदालत में अनन्य क्षेत्राधिकार निहित करके जिसमें मामले से संबंधित पहला आवेदन दायर किया गया है. न्यायालय का आगे विश्लेषण यह है कि उपधारा का संदर्भ (4) यह इंगित करता प्रतीत होता है कि उप-धारा मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान किए गए आवेदनों तक ही सीमित नहीं थी. प्रभावी और अनन्य क्षेत्राधिकार के साथ एक एकल अदालत को कपड़े पहनने की आवश्यकता, और तीन प्रावधानों के संयुक्त संचालन द्वारा संघर्ष और विवाद से बचने के लिए समान रूप से आवश्यक है कि क्या सवाल मध्यस्थता की लंबित रहने के दौरान उठता है या मध्यस्थता पूरी होने से पहले या मध्यस्थता शुरू होने से पहले। कोई बोधगम्य कारण नहीं है कि विधायिका ने उप-धारा (4) के संचालन को केवल मध्यस्थता की लंबितता क्योंकि वाक्यांश "किसी भी संदर्भ में" अर्थ के रूप में लिया जाना है "एक संदर्भ के दौरान".

49. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायालय ने वाक्यांश की व्याख्या की है 'किसी भी संदर्भ में' अर्थ के लिए 'मामले में या संदर्भ के पाठ्यक्रम में' जिसका अर्थ मध्यस्थता के संदर्भ के मामले में होगा और इसमें अंतिम अवार्ड दिए जाने पर चरण भी शामिल होगा. गुरु नानक फाउंडेशन में अधिनियम की धारा 31 (4) का उल्लेख करते हुए 'न्यायालय' शब्द के अर्थ के संबंध में और इस आधार पर माना गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भी प्रथम दृष्टया न्यायालय बन सकता है यदि उसने कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखा है। शब्दकोश खंड में 'न्यायालय' शब्द की परिभाषा और अधिनियम की धारा 31 (4) में नियोजित 'न्यायालय' शब्द के अर्थ का अवलोकन करने और प्रावधानों के संदर्भ में इसकी सराहना करने और अधिनियम की योजना पर भी ध्यान देने पर, हम पाते हैं कि गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में रखा गया निर्माण एक मौलिक भ्रम से ग्रस्त है। प्रावधान के उक्त भाग को पाठ्य संदर्भ में समझा जाना चाहिए क्योंकि मुख्य रूप से प्रावधान एक समर्थकारी है और वास्तविक

आशय जो अभिव्यंजक भाषा के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, वह यह है कि जहां अधिनियम के तहत संदर्भ में कोई आवेदन किया गया है, जहां न्यायालय के संबंध में जो आवेदन, कि अकेले अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा. उक्त प्रावधान के पीछे का उद्देश्य क्षेत्राधिकार के प्रयोग में टकराव से बचना और अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकार न्यायालय की निश्चितता के इरादे को प्रतिष्टित करना है जो मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और निर्णय कार्यवाही के बाद की अंतिमता को देखने के लिए है। इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार ग्रहण कर सकता है, केवल कार्यवाही पर नियंत्रण के कारण; संविधान के अनुच्छेद 32 और 131 के अधीन उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त मूल क्षेत्राधिकार विवाद के संबंध में जिसका उल्लेख अनुच्छेद 262 में मिलता है संविधान में इसके लिए उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य21 संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत परिकल्पित अनुच्छेद 32 की चौड़ाई और सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की अवधारणा का विश्लेषण करने और अनुच्छेद 262 के तहत नियोजित भाषा का विश्लेषण करने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त अधिकार जब अनुच्छेद 262 के अंतर्गत विधेयक उभरता है तो इसकी अपनी सीमाएं होती हैं। संविधान में विवादों के समाधान के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं कराया है परंतु संसद को अनुच्छेद 262 (1) में उल्लिखित शिकायतों या विवादों के संबंध में अधिकारिता के संबंध में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की शक्ति को बाहर रखने के लिए उपबंध करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है। उड़ीसा सरकार बनाम भारत सरकार और अन्य और नदियों की नेटवर्किंग, इन रिफरेन्स23 नेटवर्किंग ऑफ रिवर में, पुनः (ऊपर) में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अंतर-राज्यीय नदी जल बनाम वाद अधिनियम, 1956 (संक्षेप के लिए, "1956 अधिनियम") की धारा II अभिव्यक्ति "किसी भी नदी में पानी का उपयोग, वितरण और नियंत्रण" का उपयोग करती है और 1956 अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित ट्रिब्यूनल को प्रदत्त शक्ति का दायरा। यदि कोई मामला इन तीन महत्वपूर्ण शब्दों के दायरे से बाहर हो जाता है, तो 1956 के अधिनियम की धारा 11 की शक्ति को हटा दिया गया है अदालतों की संख्या किसी भी जल विवाद का जो अन्यथा होना है अधिकरण को भेजे जाने पर किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं होगा। वहीं किसी राज्य द्वारा न्यायालय में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की अनुरक्षणीयता की जांच इस प्रकार होगी कि क्या उसमें उठाए गए मुद्दे जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के तरीके के अधिनिर्णय के लिए अधिकरण को भेजे जा सकते हैं।

50. यह ध्यान दिया जाए, उक्त मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड की अनुच्छेद 195 के तहत जांच की जा सकती है संविधान की धारा 136 के अनुसार अपील करने की विशेष अनुमति बनाए रखने योग्य होगी। पूर्वोक्त निर्णय का विस्तार से उल्लेख करने का उद्देश्य यह दिखाना है कि संविधान द्वारा इस न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार कहां प्रदान किया गया है और यह कहां वर्जित है।

51. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, प्रश्न यह है कि क्या अभिव्यक्ति का उपयोग करके इस न्यायालय "मध्यस्थ कार्यवाही पर नियंत्रण रखने" मूल अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 31 (4) में प्रयुक्त 'न्यायालय' शब्द की व्याख्या करके अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि व्याख्या प्रावधान में प्रयुक्त भाषा और विधायिका की मंशा के अनुरूप नहीं है। यह हमारे लिए स्पष्ट है कि संदर्भ पर विचार करने के लिए सक्षम अदालत के पास अवार्ड या किसी भी अवार्ड के बाद की कार्यवाही पर आपत्तियों से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा।

52. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विचार के लिए उठता है कि क्या न्यायालय कर सकते हैं, इस तरह के मूल अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके, जो एक अपील पसंद करने के लिए पार्टी को वैधानिक रूप से प्रदान की जाती है को वंचित करके। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, यह इस प्रकार देखा गया है: -

"8. अब यह एक ट्राइट लॉ है कि जब भी किसी शब्द को किसी क़ानून के तहत परिभाषित किया गया है, तो उसे आमतौर पर प्रभावी किया जाना चाहिए। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि व्याख्या खंड को "जब तक कि विषय और संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो" शब्दों से पहले किया जा रहा है, इस न्यायालय को यह राय देने के लिए प्रेरित कर सकता है कि विधायिका का इरादा एक अलग अर्थ है। (देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम भारतीय मैकडिकल एसोसिएशन और पांडे एंड कंपनी बिल्डर्स (पी.) लिमिटेड बिहार राज्य25।

9. इस तरह के प्रश्न का निर्धारण करते समय, न्यायालय आमतौर पर फिर से अपील पसंद करने के लिए किसी पार्टी के अधिकार को संरक्षित करना चाहिए। अपील का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक ठोस कारण मौजूद न हों, एक वादी को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक वैधानिक अधिकार है।“

53. उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में दो-जज बेंच ने तथ्यों के आधार पर गुरु नानक फाउंडेशन का मामला को प्रतिष्ठित किया था। लेकिन अपील को प्राथमिकता देने के लिए एक पार्टी के अधिकार के निर्वाह पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में, श्री सिन्हा ने

गरिकापति बनामरया (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि एक उपाय, मुकदमा, अपील और दूसरी अपील की कानूनी खोज वास्तव में कार्यवाही की एक श्रृंखला में कदम हैं, जो सभी एक आंतरिक एकता से जुड़े हैं और इसे एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए और अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। यह आगे माना गया है कि अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्चतर न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और पर और लिस शुरू होने की तारीख से मौजूद होता है और यद्यपि यह वास्तव में प्रयोग किया जा सकता है जब प्रतिकूल निर्णय सुनाया जाता है तो ऐसा अधिकार वाद या कार्यवाही की संस्था की तारीख पर प्रचलित कानून द्वारा शासित होना चाहिए और नहीं कानून द्वारा जो उसके निर्णय की तारीख को या अपील दायर करने की तारीख को प्रचलित होता है और अपील का उक्त निहित अधिकार केवल बाद के अधिनियम द्वारा ही छीना जा सकता है, यदि यह ऐसा प्रदान करता है स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से और अन्यथा नहीं।

54. संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत ग्राफिक रूप से उजागर करता है कि अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और ऐसा अधिकार उस तारीख से मौजूद है जब से यह शुरू होता है और उक्त अधिकार को केवल बाद के अधिनियमन द्वारा ही छीना जा सकता है, यदि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से प्रदान करता है और अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में, हमें ए.आर. अंतुले (ऊपर) में प्राधिकरण की भी सराहना की गई है। उक्त मामले में प्रेम चंद गर्ग और अन्य बनाम भारत संघ आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश और अन्य26 और उसी पर भरोसा करते हुए, सब्यसाची मुखर्जी, न्यायमूर्ति (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) ने कहा:

"50. तथ्य यह है कि नियम विवेकाधीन था स्थिति में बदलाव नहीं किया गया। हालांकि अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है, अदालत संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत आदेश नहीं दे सकती है। अनुच्छेद 142 (1) और अनुच्छेद 32 के बीच असंगति का कोई सवाल ही नहीं उठा। गजेंद्रगडकर, न्यायमूर्ति , ने इस न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत के लिए बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 142 (1) इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों का उल्लंघन करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है न ही अनुच्छेद 145 ने इस न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की, जिससे वह मौलिक अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन कर सके। रिपोर्ट के पृष्ठ

899 पर, गजेंद्रगडकर ने दोहराया कि इस न्यायालय की शक्तियां निस्संदेह बहुत व्यापक हैं और वे अभिप्रेत हैं और "न्याय के हित में हमेशा प्रयोग की जाएंगी"। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है जो संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है। इस बात पर जोर दिया गया कि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए यह न्यायालय जो आदेश दे सकता है, वह न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि यह प्रासंगिक वैधानिक कानूनों (जोर दिया गया) के मूल प्रावधानों के साथ भी असंगत नहीं हो सकता है। इसलिए, न्यायालय ने माना कि यह कहना संभव नहीं है कि अनुच्छेद 142 (1) इस न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जो अनुच्छेद 32 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं। "

55, उक्त निर्णय के कंडिका 91 में, सहमति की राय में, यह इस प्रकार कहा गया है: -

"91. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि अदालतों का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से देश के कानून से आता है और अन्यथा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक इस देश की स्थिति का संबंध है, क्षेत्राधिकार प्रदान करना संविधान के उपबंधों अथवा विधायिका द्वारा अधिनियमित विशिष्ट वि धियों द्वारा संभव है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की सभी शक्तियां प्रदान करता है। अदालत ने खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को शामिल किया। अनुच्छेद 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138 और 139 सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं जबकि अनुच्छेद 225, 226, 227, 228 और 230 उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं। विशिष्ट कानून द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान करने के उदाहरण बहुत कम हैं प्रक्रिया के कानून आपराधिक और नागरिक दोनों विभिन्न न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं। विशेष क्षेत्राधिकार विशेष क़ानून द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संविधान में या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों में कम प्रावधान किया गया हो। क्षेत्राधिकार इस प्रकार किसी मामले से निपटने और तथ्यों में बाध्यकारी बल ले जाने वाला आदेश देने के लिए अदालत का अधिकार या शक्ति है। इस दृष्टिकोण के लिए न्यायिक राय के समर्थन में स्थायी संस्करणों "शब्द और वाक्यांश" खंड 23-क पृष्ट 164 का संदर्भ दिया जा सकता है। इस खण्ड के पृष्ठ 174 और 175 पर दिए गए दो छोटे अंशों का उल्लेख करना उचित होगा। पृष्ठ 174 पर, कार्लिले बनाम नेशनल ऑयल एंड डेवलपमेंट कंपनी के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है। क्षेत्राधिकार सुनने और निर्धारित करने का अधिकार है, और आदेश में कि यह

मौजूद हो सकता है निम्नलिखित आवश्यक हैं: (1) कानून द्वारा बनाई गई एक अदालत, संगठित और व्यवस्थित; (2) कारणों को सुनने और निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा इसे दिया गया अधिकार; (3) कानून द्वारा इसे दिए गए अधिकार एक निर्णय को प्रस्तुत करने के लिए जैसा कि यह प्रदान करने के लिए मानता है; (4) मामले के पक्षकारों पर अधिकार यदि न्यायनिर्णयकर्ता उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय के रूप में बाध्य करना है, जिसे अर्जित किया जाता है वादी पर उसकी उपस्थिति और अदालत में मामले को प्रस्तुत करने से, और प्रतिवादी पर उसकी स्वैच्छिक उपस्थिति द्वारा, या उस पर प्रक्रिया की सेवा द्वारा अधिग्रहित किया जाता है; (5) अदालत के क्षेत्र के भीतर स्थित होने पर निर्णय की गई चीज पर अधिकार, और वास्तव में इसे जब्त करके यदि इसे दूर ले जाने के लिए उत्तरदायी है; (6) अंतर्विष्ट प्रश्न का विनिश्चय करने का प्राधिकार, जो पक्षकारों द्वारा निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जा रहे प्रश्न द्वारा अर्जित किया गया है।

56. शिव शक्ति सहकारी हाउसिंग सोसायटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवलपर्स और अन्य में27, यह व्यक्त किया गया है कि अपील का अधिकार वैधानिक है और जब एक क़ानून द्वारा प्रदत्त किया जाता है, तो यह एक निहित अधिकार बन जाता है। एक पदानुक्रमित प्रणाली में एक अपीलीय अदालत में निहित क्षेत्राधिकार त्रुटियों को सुधारने के लिए है और यही कारण है कि इसे "त्रुटि क्षेत्राधिकार" कहा जाता है जैसा कि विकास यादव बनाम भारत संघ और अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य28। इसी तरह का विचार नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन में व्यक्त किया गया है 29।

57. गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने गरिकापति बनामराया (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत को यह कहते हुए अलग किया है कि इस न्यायालय का दरवाजा अपीलकर्ता के लिए बंद नहीं है। वास्तव में, जैसा कि कहा गया है, उनके लिए उन सभी विवादों को उठाने के लिए व्यापक रूप से दरवाजा खुला रखा जा रहा है जिन्हें कोई भी एक प्रारंभिक सामान में कार्यवाही में उठा सकता है। कानून का पूर्वोक्त कथन सही नहीं है क्योंकि कानून में उच्चतर न्यायालय से इस आधार पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि यह एक उच्च न्यायालय है और आगे यह राय है कि सभी विवाद खुले हैं। विधायिका ने अपने विवेक से केवल इसलिए कि एक उच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति करता है या निर्देश जारी करता है या मध्यस्थ पर कुछ नियंत्रण बनाए रखता है और उसे इस न्यायालय में अवार्ड दाखिल करने की आवश्यकता होती है, इसे प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि

यह 'न्यायालय' शब्द की परिभाषा के विपरीत होगा जैसा कि शब्दकोश खंड के साथ-साथ धारा 31 (4) में भी उपयोग किया गया है। सीधे शब्दों में कहें, तो सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह न्यायालय यह कहते हुए अपील करने के लिए एक वादी के अधिकार को कम नहीं कर सकता है कि इस न्यायालय के लिए दरवाजे खुले हैं और इस पर विचार करने के लिए जैसे कि यह एक मूल अदालत है। इस न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार कानून में निहित होना चाहिए। जब तक यह इतना निहित नहीं होता है और न्यायालय मानता है, न्यायालय वास्तव में उस मंच को विफल कर देता है जो विधायिका द्वारा एक वादी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि हम देखते हैं, उक्त सिद्धांत भी कुंभ मावजी में कही गई बातों के विपरीत है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह न्यायालय सहमति पर एक मध्यस्थ का संदर्भ दे सकता है, लेकिन इसे एक कानूनी सिद्धांत के रूप में धारण करने के लिए कि यह आपत्तियों पर भी विचार कर सकता है क्योंकि मूल अदालत क्षेत्राधिकार से संबंधित एक मौलिक भ्रम को आमंत्रित करेगी।

58. सुरजीत सिंह अटवाल (ऊपर) मामले में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि धारा 8 और धारा 20 के तहत आवेदन, हालांकि स्पष्ट रूप से संदर्भ के पूर्वकाल में अनुप्रयोग, एक संदर्भ की ओर ले जाते हैं। इस तरह के आवेदन निस्संदेह "संदर्भ के मामले में" आवेदन हैं और अधिनियम के 31 (4) के दायरे में आ सकते हैं, भले ही ये आवेदन किसी भी संदर्भ से पहले किए गए हों। उक्त प्राधिकरण को संदर्भित करने का उद्देश्य यह है कि कुंभ मावजी (ऊपर) में बताए गए सिद्धांत को सुरजीत सिंह अटवाल (ऊपर) में विस्तृत किया गया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस न्यायालय के पास पहले आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, वह इस तथ्य से निर्धारक है कि किस न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है और अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखता है। इस संबंध में, एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब अधिनियम के तहत मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है या, उस मामले के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और, अंततः, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है और कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं, यह कहना अनुचित और अनुचित होगा कि उच्चतर न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत दायर आपत्तियों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। प्रदत्त न्यायालय की अधिकारिता एक क़ानून के तहत एक अलग तरीके से मामले में एक उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण स्थानांतरित करने या लचीला बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

59. इस प्रकार विश्लेषण करने पर, हम इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सैथ और स्केल्टन (ऊपर) और गुरु नानक फाउंडेशन (ऊपर) में दिए गए निर्णय कानून की सही स्थिति

नहीं रखते हैं और तदनुसार वे खारिज कर दिए गए हैं। कोई अन्य निर्णय जो उक्त निर्णयों के आधार पर कानून बताता है, वह भी रद्द हो जाता है।

60. ऐसा कहने के बाद, हम मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता-राज्य ने सिविल कोर्ट के समक्ष आपत्ति दायर की है। यदि राज्य की आपत्ति रिकॉर्ड में नहीं है, तो राज्य के साथ-साथ प्रतिवादी को आज से तीस दिनों के भीतर अपनी संबंधित आपत्तियां दर्ज करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आपत्तियों का निर्णय उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

परिणामस्वरूप, अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।